



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2014-15/79

बैंपवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/2014-15

1 जुलाई 2014

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त
प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी)

महोदय

**मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण,
मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड**

कृपया उपर्युक्त विषय पर [1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/2013-14](#) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2014 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध VIII में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।

भवदीय

(सुदर्शन सेन)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 13वीं मंज़िल केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई 400001

Department of Banking Operations and Development, Central Office, 13th floor, Central Office Bldg., Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001

टेलिफोन /Tel No:022-22661602 फ़ैक्स/Fax No:022-22705691 Email ID: cgmicrobdc@rbi.org.in

हिन्दी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

उद्देश्य

अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं को निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के संबंध में समेकित दिशानिर्देश प्रदान करना।

पिछले अनुदेश

उपर्युक्त विषय पर पूर्व अनुदेशों से संबंधित परिपत्रों की सूची अनुबंध VIII में दी गई है।

प्रयोज्यता

अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ (अर्थात्, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।)

संरचना

- 1 प्रस्तावना
- 2 निवेश नीति
 - 2.1 निवेशों के उद्देश्य
 - 2.2 तैयार वायदा संविदाएं
 - 2.3 सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन /व्यापार
 - 2.4 बैंक रसीदें
 - 2.5 गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश
- 3 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
 - 3.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए दिशानिर्देश
 - 3.2 दलालों के माध्यम से लेनदेन
 - 3.3 निवेश लेनदेनों की लेखा-परीक्षा, समीक्षा और रिपोर्ट देना
 - 3.4 अनुषंगी संस्थाओं/म्युच्युअल फंडों की निगरानी
- 4 निवेशों का वर्गीकरण
 - 4.1 तीन श्रेणियां
 - 4.2 अभिग्रहण के समय श्रेणी का निर्णय
 - 4.3 अवधिपूर्णता तक धारित (एचटीएम)
 - 4.4 बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित
 - 4.5 श्रेणियों के बीच अंतरण

- 5 निवेशों का मूल्यांकन
- 5.1 अवधिपूर्णता तक धारित
 - 5.2 बिक्री के लिए उपलब्ध
 - 5.3 व्यापार के लिए धारित
 - 5.4 सामान्य
 - 5.5 बाजार मूल्य
 - 5.6 कोट न की गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
- 6 पुनर्गठित खातों के मामले में ईक्विटी तथा अन्य लिखतों में ऋण का परिवर्तन
- 7 ऐसे ब्याज दर डेरिवेटिव के माध्यम से निवेश की बचाव व्यवस्था जिनकी खरीद-बिक्री शेयर बाजारों में होती है
- 8 रिपो लेखांकन
- 8.1 कूपन
 - 8.2 रिपो ब्याज आय /व्यय
 - 8.3 बाजार दर पर मूल्यांकन (मार्क टू मार्केट)
 - 8.4 पुनः खरीद पर बही मूल्य
 - 8.5 प्रकटीकरण
 - 8.6 लेखा पद्धति

अनुबंध I

अनुबंध II

अनुबंध III

अनुबंध IV

अनुबंध V

अनुबंध VI

अनुबंध VII

अनुबंध VIII

**मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण,
मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड**

1. प्रस्तावना

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रतिभूति लेनदेनों की पड़ताल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा नियुक्त समिति (जानकीरामन समिति) ने अपनी पहली रिपोर्ट में इन लेनदेनों में कई गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया था। अनुवर्ती कार्रवाई के एक उपाय के रूप में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ने वाणिज्य बैंकों को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया था ताकि वे अपने निवेश संविभागों में अपने लेनदेनों को यथोचित रूप से विनियमित कर सकें। वित्तीय संस्थाओं को भी उक्त परिपत्र की एक-प्रति भेजी गयी थी ताकि विशिष्ट प्रतिबंधों और सामान्य अनुदेशों/दिशानिर्देशों को लागू सीमा तक उपयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा सके। इनमें से कुछ प्रतिबंध/पाबंदियां अब हटा दी गयी हैं। उनमें ढील दी गयी है। बाज़ार गतिविधियों को तथा विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के संबंध में समय-समय पर नीचे दिये गये दिशानिर्देश जारी किये हैं।

2. निवेश नीति

2.1 निवेशों का उद्देश्य

वित्तीय संस्थाएं अपने निजी निवेश खाते में, अपनी न्यासीय हैसियत से संविभागीय प्रबंध योजना के ग्राहकों की ओर से तथा अन्य ग्राहकों की ओर से, या तो उनके निवेशों के अभिरक्षक के रूप में या पूर्णतया उनके एजेंट के रूप में, प्रतिभूतियों का लेनदेन करते रहे हैं। ऊपर उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का लेनदेन करते समय वित्तीय संस्थाओं को अपनाये जानेवाले निवेश के स्थूल उद्देश्य संबंधित निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्पष्ट निर्धारित करने चाहिए, जिनमें जिस प्राधिकारी के माध्यम से सौदा किया जाना है उसकी स्पष्ट परिभाषा, उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी के लिए अपनायी जानेवाली क्रियाविधि, सौदा करने में अपनायी जानेवाली क्रियाविधि, जोखिम की विभिन्न विवेकपूर्ण सीमाएं और रिपोर्ट देने की प्रणाली स्पष्ट परिभाषित की जानी चाहिए। निवेश नीति संबंधी इस प्रकार के दिशानिर्देश निर्धारित करते समय वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

2.2 तैयार वायदा संविदाएं

जिन शर्तों के अधीन तैयार वायदा संविदाएं (प्रतिवर्ती तैयार वायदा संविदाओं सहित) की जा सकती हैं, वे नीचे दी गयी हैं। ये शर्तें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट वे संगत शर्तें होगी जो 22 जनवरी 2003 की उसकी अधिसूचना सं. एस. ओ. 131 (ई) तथा समय-समय पर उसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 29 ए के अधीन जारी भारत सरकार की 1 मार्च 2000 की अधिसूचना सं. 183 (ई) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 16 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी की गयी हो।

2.2.1 पात्रता

(क) तैयार वायदा संविदाएं केवल निम्नलिखित में की जायें :

- i) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियां और खजाना बिल; तथा
- ii) राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियां।

(ख) ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की तैयार वायदा संविदाएं निम्नलिखित द्वारा की जायेंगी:

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता रखने वाले व्यक्ति अथवा कंपनियां और
- (ii) निम्नलिखित श्रेणियों की कंपनियाँ जो रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता नहीं रखती हैं लेकिन किसी बैंक में अथवा अन्य किसी ऐसी कंपनी (अभिरक्षक) में गिल्ट खाते रखती हैं (अर्थात् गिल्ट खाता धारक) जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसके लोक ऋण कार्यालय, मुंबई के पास ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) बनाए रखने की अनुमति है :

1. कोई अनुसूचित बैंक,
2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई प्राथमिक व्यापारी,
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी,
4. भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के पास पंजीकृत कोई म्यूच्युअल फंड,
5. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत कोई आवास वित्त कंपनी, और
6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत कोई बीमा कंपनी ।

2.2.2 प्रतिबंध

उक्त (ख) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति या कंपनियां आपस में निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन तैयार वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

- (i) कोई एसजीएल खाता धारक अपने ही संघटक के साथ हाज़िर वायदा संविदा न करें। अर्थात् तैयार वायदा संविदाएं अभिरक्षक और उसके गिल्ट खाता धारक के बीच नहीं होनी चाहिए।
- (ii) एक ही अभिरक्षक (अर्थात् सीएसजीएल खाता धारक) के पास अपने गिल्ट खाते रखने वाले किन्हीं दो गिल्ट खाता धारकों के बीच एक दूसरे के साथ तैयार वायदा संविदाएं न की जाएं, और
- (iii) सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ तैयार वायदा संविदा नहीं करेंगे।

2.2.3 अन्य अपेक्षाएं

- (क) सभी तैयार वायदा संविदाओं को कोर बैंकिंग सोल्यूशन(सीबीएस) पर रिपोर्ट किया जाएगा। गिल्ट खाता धारकों से संबंधित तैयार वायदा संविदाओं के संबंध में, जिस अभिरक्षक (अर्थात् सीएसजीएल खाता धारक) के साथ गिल्ट खाते रखे गये हैं वे घटकों (अर्थात् गिल्ट खाता धारक) की ओर से सीबीएस पर लेनदेनों की रिपोर्ट करने के उत्तरदायी होंगे।
- (ख) सभी तैयार वायदा संविदाओं का भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में एसजीएल खाते/ सीएसजीएल खाते के माध्यम से निपटान किया जाएगा। ऐसी समस्त तैयार वायदा संविदाओं के लिए भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) केंद्रीय काउंटर पार्टी की भूमिका करेगा।
- (ग) अभिरक्षकों को आंतरिक नियंत्रण तथा समवर्ती लेखा परीक्षा की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि: (i) तैयार वायदा लेनदेन केवल गिल्ट खाते में प्रतिभूतियों के स्पष्ट शेष की जमानत पर किये जाते हैं, (ii) ऐसी सभी लेनदेनों को तुरंत सीबीएस पर रिपोर्ट किया जाता है, तथा (iii) उपर्युक्त संदर्भित सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित कंपनियां तैयार वायदा लेनदेन केवल सांविधिक चलनिधि अनुपात की निर्धारित अपेक्षाओं से अतिरिक्त प्रतिभूतियों में ही कर सकती हैं।
- (ङ) तैयार वायदा लेनदेन के पहले चरण में प्रतिभूतियों के विक्रेता द्वारा संविभाग में वास्तविक रूप से प्रतिभूतियां धारित करने के बिना कोई भी बिक्री लेनदेन पूर्ण नहीं होगी।
- (च) तैयार वायदा संविदाओं के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां, संविदा की अवधि के दौरान बेची नहीं जाएंगी।

2.3 सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन /व्यापार

सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार करने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए:

2.3.1 एसजीएल खाते के माध्यम से लेनदेन

2.3.1.1 भुगतान पर सुपुर्दगी (डी वी पी) प्रणाली के अंतर्गत, जिसमें प्रतिभूतियों का अंतरण निधियों के अंतरण के साथ-साथ होता है, सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)खाते के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री के लिए बिक्री करने वाली वित्तीय संस्थाओं और खरीदने वाली वित्तीय संस्थाओं दोनों के लिए यह जरूरी है कि वे रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता रखें। चूंकि चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी, अतः वित्तीय संस्थाओं को खरीद /लेनदेन करने के लिए चालू खाते में पर्याप्त जमा शेष रखना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना चाहिए :

- (i) सरकारी प्रतिभूतियों के उन सभी लेनदेनों को, जिनके लिए एस जी एल सुविधा उपलब्ध है, केवल एस जी एल खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- (ii) किसी भी परिस्थिति में, किसी एक वित्तीय संस्था द्वारा किसी दूसरे वित्तीय संस्था के पक्ष में जारी एस जी एल अंतरण फार्म बिक्री करने वाले के एस जी एल खाते में प्रतिभूतियों का पर्याप्त

जमाशेष न होने या खरीदार के चालू खाते में निधियों का पर्याप्त जमाशेष न होने के कारण लौटाया नहीं जाना चाहिए।

- (iii) खरीदार वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त एसजीएल अंतरण फार्म उनके एस जी एल खातों में तत्काल जमा किये जाने चाहिए अर्थात् रिज़र्व बैंक के पास एस जी एल फार्म जमा करने की तारीख अंतरण फार्म हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद एक कार्य दिन के भीतर होगी। जहां ओ टी सी व्यापार के मामलों में निपटान प्रतिभूति संविदा अधिनियम, 1956 की धारा 2 (i)के अनुसार केवल 'हाज़िर' सुपुर्दगी के आधार पर होना चाहिए, वहीं मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों में सौदों के मामलों में निपटान उनके नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार सुपुर्दगी अवधि के भीतर होना चाहिए। सभी मामलों में, सहभागियों को 'बिक्री तारीख' के अंतर्गत एस जी एल फार्म के भाग 'ग' में सौदे/व्यापार/संविदा की तारीख का अवश्य उल्लेख करना चाहिए। जहां इसे पूरा नहीं किया जाता है, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसजीएल फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (iv) वित्तीय संस्था द्वारा धारित एसजीएल फार्म लौटाकर कोई भी बिक्री नहीं की जानी चाहिए।
- (v) एसजीएल अंतरण फार्मों पर वित्तीय संस्था के दो प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिनके हस्ताक्षर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित लोक ऋण कार्यालय तथा अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के रिकार्ड में होने चाहिए।
- (vi) एसजीएल अंतरण फार्म भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक फार्मेट में होने चाहिए और एकसमान आकार अर्ध प्रतिभूति पत्र (सेमी सेक्युरिटी पेपर) पर मुद्रित होने चाहिए। उन पर क्रम संख्या दी जानी चाहिए और प्रत्येक एस जी एल फार्म का हिसाब रखने की नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।
- (vii) यदि एसजीएल खाते में पर्याप्त शेष न होने के कारण एसजीएल अंतरण फार्म नकारा जाये तो फार्म जारी करने वाली (विक्रेता) वित्तीय संस्था निम्नलिखित दंडात्मक कार्रवाई की भागी होगी :

क. एसजीएल फार्म की राशि (प्रतिभूति के खरीदार द्वारा अदा की गयी क्रय लागत) विक्रेता वित्तीय संस्था के रिज़र्व बैंक में चालू खाते में तुरंत नामे डाली जायेगी।

ख. यदि इस प्रकार से नामे डालने से चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की स्थिति होगी ओवरड्राफ्ट की राशि पर रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित दिन को भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह की मांग मुद्रा ऋण दर से तीन प्रतिशत अंक अधिक की दर पर दण्डात्मक ब्याज लगाया जायेगा। तथापि, यदि भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह की मांग मुद्रा ऋण दर वित्तीय संस्था की मूल ऋण दर से कम हो, तो प्रभारित की जाने वाली लागू दंडात्मक दर संबंधित वित्तीय संस्था की मूल ऋण दर से तीन प्रतिशत अंक अधिक होगी।

ग. यदि एस जी एल फार्म तीन बार नकारा जायेगा तो तीसरी बार नकारे जाने से छः महीने की अवधि के लिए उस वित्तीय संस्था को एस जी एल सुविधा का प्रयोग करके व्यापार करने से वंचित कर दिया जायेगा। यदि उक्त सुविधा पुनः प्रारंभ होने के बाद संबंधित वित्तीय संस्था का कोई एस जी एल फार्म पुनः नकारा जायेगा तो वह वित्तीय संस्था रिज़र्व बैंक के सभी लोक ऋण कार्यालयों में एस जी एल सुविधा के प्रयोग से स्थायी रूप से वंचित कर दी जायेगी।

घ. एसजीएल सुविधा के प्रयोग से वंचित करने के प्रयोजन के लिए खरीदने वाली वित्तीय संस्था के चालू खाते में अपर्याप्त जमाशेष होने के कारण नकारे जाने को बेचनेवाली वित्तीय संस्था के एस जी एल खाते में अपर्याप्त जमाशेष के कारण नकारे जाने के समकक्ष गिना जायेगा (बेचने वाले वित्तीय संस्था के विरुद्ध)। वंचित किये जाने के प्रयोजन के लिए दोनों खातों में (अर्थात् एसजीएल खाते तथा चालू खाते) में नकारे जाने के प्रसंगों को मिलाकर एस जी एल खाते के संबंधित धारक के विरुद्ध गिना जायेगा (अर्थात् अस्थायी निलंबन के लिए छमाही में तीन तथा एसजीएल सुविधा पुनः शुरू होने के बाद किसी नकारे जाने के लिए स्थायी वंचित)।

2.3.1.2

कतिपय सहकारी बैंकों द्वारा कुछ दलालों की सहायता से सरकारी प्रतिभूतियों में भौतिक रूप में लेनदेनों के नाम पर किये गये कपटपूर्ण लेनदेनों को देखते हुए प्रतिभूतियों के भौतिक रूप में लेनदेनों की गुंजाइश को और कम करने के लिए मई 2002 में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी और वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा थी कि वे 31 जुलाई 2003 तक इन अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन करें :

- रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं (वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) को सरकारी प्रतिभूति संविभाग में अपने निवेश अनिवार्य रूप से एसजीएल (रिज़र्व बैंक में) या सीएसजीएल (अनुसूचित वाणिज्य बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ प्राथमिक व्यापारी/वित्तीय संस्था/प्रायोजक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में) तथा एसएचसीआइएल या डिपॉज़िटरी (एनएसडीएल/ सीडीएसएल) में अमूर्त खाते में रखने चाहिए ।
- इस प्रकार की किसी संस्था द्वारा केवल एक सीएसजीएल या अमूर्त खाता खोला जा सकता है
- किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक या राज्य सहकारी बैंक में सी एसजीएल खाता खोले जाने पर, खातेदार को उसी बैंक में निर्दिष्ट निधि खाता (सी एसजीएल संबंधी सभी लेनदेनों के लिए) खोलना चाहिए ।
- यदि सीएसजीएल खाते ऊपर उल्लिखित किसी गैर-बैंकिंग संस्थाओं में खोले जाते हैं तो निर्दिष्ट निधि खाते (बैंक के पास) के ब्योरे उस संस्था को सूचित किये जाने चाहिए ।
- सीएसजीएल /निर्दिष्ट निधि खाता रखने वालों के लिए लेनदेन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खरीद हेतु निर्दिष्ट निधि खाते में पर्याप्त निधि है और बिक्री हेतु सी एस जी एल खाते में पर्याप्त प्रतिभूतियां हैं।

- किसी विनियमित संस्था द्वारा तत्काल प्रभाव से किसी दलाल के साथ भौतिक रूप में आगे कोई लेनदेन नहीं किया जाना चाहिए ।

2.3.2 शेयर बाजारों में लेनदेन

2.3.2.1 सरकारी प्रतिभूतियों के गौण बाजार में निवेशकों की सभी श्रेणियों की व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की शेयर बाजारों में देशव्यापी, अनाम, आर्डर ड्रिवन स्क्रीन आधारित प्रणाली के माध्यम से ट्रेडिंग 16 जनवरी 2003 से शुरू की गयी है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्वचलित प्रणालियों (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई) तथा ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओटीसीआई) की जा सकती है । यह योजना रिज़र्व बैंक की वर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अलावा है जो अब तक की तरह जारी रहेगी ।

2.3.2.2 इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित ट्रेडिंग प्रणाली में शेयर बाजारों में किये गये व्यापार का समाशोधन उनके अपने-अपने समाशोधन निगमों /समाशोधन गृहों द्वारा किया जाएगा, इसलिए वित्तीय संस्थाओं को व्यापार का निपटान समाशोधन निगमों/ समाशोधन गृहों (यदि वे समाशोधन सदस्य हैं) के साथ सीधे अथवा समाशोधन सदस्य अभिरक्षा के माध्यम से करना होगा। वित्तीय संस्थाएं, संस्थागत निवेशकों के रूप में की जानेवाली/प्राप्त होनेवाली डिलीवरी के आधार पर ही लेनदेन कर सकेंगी ।

2.3.2.3 भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा एक्सचेंज द्वारा निर्धारित विनियमों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज पर वित्तीय संस्थाओं के सहभाग को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित सुविधाएं दी गयी हैं :

- क) वित्तीय संस्थाएं, भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने एसजीएल खातों के अतिरिक्त नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरीज़ लि. (एनएसडीएल)/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ लि.(सीडीएसएल) के डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) के साथ डिमेट खाते खोल सकते हैं। (अब तक एसजीएल खाते को छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए डिमेट खाता खोलने की वित्तीय संस्थाओं को अनुमति नहीं थी।)
- ख) एसजीएल/सीएसजीएल तथा डिमेट खातों के बीच प्रतिभूतियों का मूल्य-रहित अंतरण लोक ऋण कार्यालय, मुंबई द्वारा किया जाएगा लेकिन वह हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा अलग-से जारी किए गए परिचालनगत दिशानिर्देशों के अधीन होगा। (मूल्य-रहित अंतरण का अर्थ है भारत सरकार की प्रतिभूतियों का एक पार्टी के एसजीएल /सीएसजीएल खाते से उसी के डिमेट खाते में अंतरण - अतः इसके लिए कोई प्रतिफल की अदायगी आवश्यक नहीं होती है।)

2.3.3 परिचालनगत दिशानिर्देश

2.3.3.1 जहां, वित्तीय संस्थाएं इस मास्टर परिपत्र में निहित समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना जारी रखेंगी, वहीं वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए :

क) स्टॉक एक्सचेंज में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री करने के लिए वित्तीय संस्थाएं अपने निदेशक मंडल से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करें।

ख) स्टॉक एक्सचेंज में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री/निपटान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे सूचना प्रौद्योगिकी की योग्य सहायक बुनियादी सुविधाएं, पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियां तथा उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां स्थापित करें। बैंक ऑफिस व्यवस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनडीएस /ओटीसी बाजार पर तथा स्टॉक एक्सचेंज में की गयी खरीद-बिक्री संबंधी जानकारी निपटान/समाधान के प्रयोजनों के लिए आसानी से मिले।

ग) किसी एकल दलाल के माध्यम से की गयी खरीद-बिक्री, दलालों के माध्यम से किए गए व्यवहारों पर विद्यमान दिशानिर्देशों के अधीन रहना जारी रहेगी।

घ) सभी खरीद-बिक्रियों का निपटान या तो सीधे समाशोधन निगम/समाशोधन गृह (यदि वे समाशोधन सदस्य हैं तो) में अथवा समाशोधन सदस्य अभिरक्षकों के माध्यम से होना चाहिए। दलाल/व्यापारी सदस्य निपटान प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।

ङ) व्यापार के समय, वित्तीय संस्थाओं के पास प्रतिभूतियां रिज़र्व बैंक में उनके एसजीएल खातों में अथवा डिपॉज़िटरीज में डिमेट खाते में उपलब्ध होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज पर (टी +3) आधार पर कोई भी बिक्री एनडीएस/ओटीसी बाजार [(टी +0) आधार पर भी] पर खरीद तथा सुपुर्दगी के लिए एसजीएल खाते से उनके डिमेट खाते में अनुवर्ती अंतरण द्वारा कवर नहीं हो सकती। उसी तरह, स्टॉक एक्सचेंज पर (टी+0) अपेक्षित प्रतिभूतियों के पे-इन के समक्ष एनडीएस/ओटीसी पर (टी+0) आधार पर कोई बिक्री करने की अनुमति नहीं है।

च) वित्तीय संस्थाओं के खरीद लेनदेन भी उसी तरह पे-इन के समय उनके निपटान खातों में क्लियर निधियों की उपलब्धता के अधीन होने चाहिए।

छ) निधियों के सभी भुगतान (पेआऊट) अनिवार्यतः क्लियर निधियों में से होने चाहिए। अर्थात् उक्त भुगतान उस दिन किए जाने वाले किसी समाशोधन के परिणाम के अधीन नहीं होना चाहिए।

2.3.3.2 प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी न होना /क्लियर निधियों के अभाव के कारण निपटान न होना, एसजीएल का नकारा जाना समझा जाएगा और एसजीएल के नकारे जाने के संबंध में जो वर्तमान दंड हैं वे लागू होंगे। स्टॉक एक्सचेंज इस तरह की चूक के बारे में संबंधित लोक ऋण कार्यालयों को रिपोर्ट करेंगे।

2.3.3.3 वित्तीय संस्थाएं उनके बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को समग्र आधार पर स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेनों के ब्यौरे तथा एक्सचेंज पर कोई 'क्लोज्ड-आऊट' लेनदेनों के ब्यौरे नियमित रूप से रिपोर्ट करेंगी।

2.3.3.4 इस संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में खुदरा निवेशकों को उपलब्ध गैर-प्रतियोगी बोली लगाने (नॉन कॉम्पेटिटिव बिडिंग) की योजना की ओर वित्तीय संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक

द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा यथा-संशोधित है। इस योजना की प्रतिलिपि **अनुबंध I** में दी गयी है। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में एक एकल गैर-प्रतियोगी बोली की अधिकतम मूल्य सीमा दो करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) है।

2.4 बैंक रसीदें

बैंक रसीदों का उपयोग करते समय निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए:

(i) जिन सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एस जी एल सुविधा उपलब्ध है उनके लेन-देन के संबंध में बैंक रसीद किसी भी परिस्थिति में जारी नहीं की जानी चाहिए। अन्य प्रतिभूतियों के मामले में भी बैंक रसीद केवल हाजिर लेन-देन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी की जाये :

- (क) जारीकर्ता द्वारा स्क्रिप, अभी जारी की जानी है और वित्तीय संस्था के पास आबंटन- सूचना है।
- (ख) प्रतिभूति भौतिक रूप में किसी अन्य केन्द्र पर रखी है और बैंक अल्प समय में उस प्रतिभूति को भौतिक रूप में अंतरित करने और उसकी सुपुर्दगी देने की स्थिति में है।
- (ग) प्रतिभूति अंतरण /ब्याज अदायगी के लिए जमा की गयी है और इस तरह जमा करने का आवश्यक रिकार्ड वित्तीय संस्था के पास है और वह प्रतिभूति की भौतिक सुपुर्दगी अल्पकाल में देने की स्थिति में होगी।

- (ii) बैंक द्वारा धारित (किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था की) किसी बैंक रसीद के आधार पर कोई भी बैंक रसीद जारी नहीं की जानी चाहिए और बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा धारित बैंक रसीदों के केवल विनिमय के आधार पर कोई लेनदेन नहीं होना चाहिए।
- (iii) वित्तीय संस्थाओं के केवल निजी निवेश खातों से संबंधित लेनदेन की ही बैंक रसीदें जारी की जानी चाहिए और वित्तीय संस्थाओं द्वारा न तो संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों के खातों से संबंधित लेनदेनों की और न ही दलालों सहित अन्य ग्राहकों के खातों से संबंधित लेनदेनों की बैंक रसीद जारी की जानी चाहिए।
- (iv) कोई भी बैंक रसीद 30 दिन से अधिक के लिए बकाया नहीं रहनी चाहिए।
- (v) बैंक रसीदें मानक फार्मेट (भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित) में अर्ध प्रतिभूति पत्र पर जारी की जानी चाहिए, जिन पर क्रम संख्या हो और उन पर बैंक/वित्तीय संस्था के ऐसे दो प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिनके हस्ताक्षर अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास रिकार्ड में हों। जैसा कि एस जी एल फार्मों के मामले में है, प्रत्येक बैंक रसीद के फार्म का हिसाब रखने की नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।
- (vi) जारी की गयी बैंक रसीदों और प्राप्त बैंक रसीदों के अलग-अलग रजिस्टर होने चाहिए और इनका प्रणालीबद्ध रूप में पालन करना तथा निर्धारित समय-सीमा में उनका समापन करना सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

2.5 गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

2.5.1 व्याप्ति

2.5.1.1 ये दिशा-निर्देश, प्राथमिक बाजार (सरकारी निर्गम एवं निजी स्थापन) तथा द्वितीयक बाजार, दोनों प्रकार के ऋण लिखतों में निम्नलिखित श्रेणियों में वित्तीय संस्थाओं के निवेश पर लागू होंगे :

- क) कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं विशेष प्रयोजनार्थ संस्थाओं आदि द्वारा निर्गमित ऋण लिखत;
- ख) केंद्र या राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकारी गारंटी सहित या रहित जारी किए गए ऋण लिखत /बांड;
- ग) म्युच्युअल फंडों की ऋण उन्मुख यूनितें अर्थात् वे स्कीमें जिनके कॉरपस का अधिकांश भाग ऋण प्रतिभूतियों में लगाया जाता है;
- घ) पूंजी लाभप्रदता बांड तथा प्राथमिकता क्षेत्र की हैसियत की पात्रता रखने वाले बांड;

2.5.1.2 तथापि, ये दिशा-निर्देश वित्तीय संस्थाओं के निम्नलिखित श्रेणियों में किए गए निवेशों पर लागू नहीं होते हैं :

- क) सरकारी प्रतिभूतियाँ और गिल्ट निधियों की यूनितें;
- ख) रिज़र्व बैंक के वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत अग्रिम के स्वरूप की प्रतिभूतियां;
- ग) म्युच्युअल फंडों की ईक्विटी अभिमुख योजनाओं की यूनितें अर्थात् उन योजनाओं की यूनितें जिनके कॉरपस का प्रमुख हिस्सा ईक्विटी शेयरों में निवेश किया जाता है;
- घ) "संतुलित फंडों" की यूनितें, जो कि ऋण और ईक्विटी दोनों में ही निवेश करती हैं बशर्ते कॉरपस का प्रमुख हिस्सा ईक्विटी शेयरों में निवेश किया जाता हो। फंड द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की स्थिति में ये दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- ङ) उद्यम के लिए पूंजी निधियाँ तथा मुद्रा बाज़ार म्युच्युअल फंडों की यूनितें;
- च) वाणिज्य पत्र; और
- छ) जमा प्रमाणपत्र

2.5.2 प्रभावी होने की तारीख और संक्रमण अवधि

जबकि ये दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2004 से लागू होंगे, ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ताओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न किए गए अपने वर्तमान ऋण-निर्गमों को सूचीबद्ध कराने के लिए अपेक्षित समय ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित संक्रमण अवधि प्रदान की जा रही है :

- क) ऐसी म्युच्युअल फंड योजनाओं की यूनिटों में निवेश जहाँ संपूर्ण कॉरपस गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है, वहाँ 31 दिसंबर 2004 तक उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के दायरे से बाहर रहेंगी, तत्पश्चात् ऐसे निवेशों पर भी ये दिशा-निर्देश लागू होंगे ।
- ख) 1 जनवरी 2005 से म्युच्युअल फंड की ऐसी योजनाओं की यूनिटों में निवेश जिनका, सूचीबद्ध न की गई ऋण प्रतिभूतियों में योजना के कॉरपस से 10 प्रतिशत से कम जोखिम है, उन्हें नीचे पैरा 6 में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के प्रयोजन से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के समान माना जाएगा। इस प्रकार 31 दिसंबर 2004 तक ऐसी यूनिटों में निवेश करने पर विवेकपूर्ण सीमाएं लागू होंगी।
- ग) 1 जनवरी 2005 से केवल वही वित्तीय संस्थाएं इन दिशा-निर्देशों में कवर की गई सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों में नए निवेश (निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं तक) करने की पात्र होंगी जिनका ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर है ।

2.5.3 परिभाषाएँ

गैर-सरकारी डिबेंचर प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में दिशानिर्देश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

- 2.5.3.1 श्रेणी निर्धारित (रेटेड) प्रतिभूति : कोई प्रतिभूति रेटेड प्रतिभूति तभी मानी जाएगी जब वह भारत में कार्यरत किसी बाहरी रेटिंग एजेंसी की विस्तृत रेटिंग प्रविधि के अधीन रही हो जो सेबी में पंजीकृत हो तथा चालू या वैध रेटिंग से युक्त हो। आधारभूत रेटिंग को वर्तमान या वैध तभी माना जाएगा यदि :
- निर्गम खुलने की तारीख को, आधारभूत साख रेटिंग पत्र एक महीने से अधिक पुराना न हो, तथा
 - निर्गम खुलने की तारीख को रेटिंग एजेंसी से प्राप्त रेटिंग तर्काधार एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, तथा
 - रेटिंग पत्र तथा रेटिंग तर्काधार ऑफर दस्तावेज का एक हिस्सा हों।
 - द्वितीयक बाजार अभिग्रहण के मामले में, निर्गम का साख निर्धारण प्रचलित होना चाहिए तथा संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से इसकी पुष्टि होनी चाहिए ।
- 2.5.3.2 रेटिंग न की गई प्रतिभूति : जिन प्रतिभूतियों की चालू या वैध रेटिंग किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं की गई हो, उन्हें रेटिंग न की गई प्रतिभूतियां माना जाएगा ।
- 2.5.3.3 सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति यह ऐसी प्रतिभूति है जो स्टॉक एक्सचेंज की सूची में शामिल होती है। यदि यह सूची में शामिल नहीं है तो यह सूचीबद्ध न की गई ऋण प्रतिभूति है ।
- 2.5.3.4 अनर्जक निवेश (एनपीआइ) : अनर्जक अग्रिम (एन पी ए) की तरह, अनर्जक निवेश वह है जहाँ :

- i) निर्धारित/पूर्व निर्धारित आय प्रतिभूतियों के संबंध में, अधिमान्य शेयरों (परिपक्वता आगम सहित) पर ब्याज /मूलधन /नियत लाभांश देय है तथा यह 90 दिनों से अधिक अवधि तक अदा नहीं किया गया है।
- ii) किसी कंपनी का नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं होने पर उस कंपनी के ईक्विटी शेयरों का 1/- रुपये प्रति कंपनी की दर से के मूल्यन किया गया है (9 नवंबर 2000 के परिपत्र डीबीएस. एफआईडी. सं. सी-9/01.02.00/2000-01के संलग्नक के पैरा 26 में निहित अनुदेशों के अनुसार)।
- iii) यदि प्रतिभूति के निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त की गई किसी ऋण सुविधा को वित्तीय संस्था की बहियों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो, उसी निर्गमकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआइ माना जाएगा।

2.5.4 विनियामक अपेक्षाएँ

- 2.5.4.1 वित्तीय संस्थाओं को रेटिंग न की गई किसी ऋण प्रतिभूति में निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल सेबी में पंजीकृत किसी साख निर्धारण एजेंसी से न्यूनतम 'निवेश ग्रेड रेटिंग' प्राप्त रेटेड ऋण प्रतिभूति में ही निवेश करना चाहिए।
- 2.5.4.2 भारत में कार्यरत किसी बाहरी एजेंसी, जिसे आईबीए/एफआईएम एमडीए द्वारा पहचान की गई है, द्वारा निवेश ग्रेड रेटिंग प्रदान की जानी चाहिए। ऐसी एजेंसियों की सूची की आईबीए/ एफआईएमएमडीए द्वारा भी कम-से-कम वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी।
- 2.5.4.3 वित्तीय संस्थाओं को वाणिज्य पत्र और जमा प्रमाणपत्रों, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से नियंत्रित हैं, को छोड़कर एक वर्ष से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए।
- 2.5.4.4 वित्तीय संस्थाओं को इन दिशानिर्देशों के दायरे में न आनेवाली प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेशों के संबंध में सामान्य उचित सावधानी बरतनी चाहिए।
- 2.5.4.5 वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण प्रतिभूतियों में सभी नये निवेश केवल उन कंपनियों की सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में ही किए गए हों, जो कि नीचे पैरा 2.5.6 में दर्शायी गई सीमा को छोड़कर सेबी की अपेक्षाओं का पालन करती हैं।
- 2.5.4.6 सूचीबद्ध न की गई ऋण प्रतिभूतियाँ जिनमें वित्तीय संस्थाएँ नीचे पैरा 2.5.6 में विनिर्दिष्ट सीमाओं तक निवेश कर सकती हैं, रेटेड होनी चाहिए तथा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित रूप में निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए।

2.5.5 आंतरिक मूल्यांकन

चूँकि ऋण प्रतिभूतियाँ प्रायः ऋण प्रतिस्थापक होती हैं, अतः वित्तीय संस्थाओं को भली-भाँति परामर्श दिया जाता है कि :

- (i) ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित उनके सभी निवेश प्रस्तावों को ऋण मूल्यांकन के उन्हीं मानदंडों पर रखें जो कि उनके ऋण प्रस्तावों के लिए रखे गए हों, बावजूद इस तथ्य के कि प्रस्तावित निवेश रेटेड प्रतिभूतियों में क्यों न हों।
- (ii) बाहरी तौर पर रेटेड निर्गमों के संबंध में भी अपना आंतरिक ऋण विश्लेषण करें और आंतरिक रेटिंग दें तथा बाहरी रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग पर पूरी तरह निर्भर न रहें तथा
- (iii) अपनी आंतरिक रेटिंग प्रणालियों को मजबूत बनाएँ जिनमें निर्गमकर्ताओं/ निर्गमों के रेटिंग अंतरण प्रवास की लगातार निगरानी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से निर्गमकर्ता की वित्तीय स्थिति पर नियमित(तिमाही या छमाही) रूप से नजर रखने की एक प्रणाली बनाना भी शामिल है।

2.5.6 विवेकपूर्ण सीमाएँ

2.5.6.1 ऋण प्रतिभूतियों में वित्तीय संस्थाओं के कुल निवेश के सूचीबद्ध न की गई ऋण प्रतिभूतियों में कुल निवेश 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि पिछले वर्ष 31 मार्च (एनएचबी के मामले में 30 जून) की स्थिति के अनुसार इन दिशानिर्देशों के दायरे में आता है। तथापि, निम्नलिखित लिखतों में निवेश, उपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए 'सूचीबद्ध न की गई प्रतिभूतियों' के रूप में नहीं माना जाएगा :

- (i) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफईएसआई) अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत पुनर्निर्माण कंपनियों/प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदें (एसआर); तथा
- (ii) आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ (एबीएस) तथा बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ (एमबीएस) जो न्यूनतम निवेश ग्रेड या उससे ऊपर के ग्रेड पर रेट को गई हों।

2.5.6.2 31 मार्च 2003 (एनएचबी के लिए 30 जून 2003) की स्थिति के अनुसार जिन वित्तीय संस्थाओं के ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का जोखिम, उपर्युक्त पैरा 6.1 में निर्दिष्ट विवेकपूर्ण सीमा से अधिक है, उन्हें उपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने तक ऐसी प्रतिभूतियों में कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए।

2.5.6.3 विवेक के तौर पर, वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे अपने निदेशक मंडल की अनुमति से, संकेंद्रण के जोखिम और अतरलता के जोखिम के समाधान हेतु उन ऋण प्रतिभूतियों में जोखिम अभिग्रहण करने के लिए जो कि इन दिशानिर्देशों की परिधि में आती हैं, न्यूनतम रेटिंग/गुणवत्ता मानदंड और उद्योग-वार, परिपक्वता-वार, अवधि-वार, निर्गमकर्ता-वार आदि जोखिम सीमाएँ निर्धारित करें।

2.5.7 निदेशक मंडलों की भूमिका

2.5.7.1 वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने निदेशक मंडलों से उनकी निवेश नीतियाँ, इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध

में जोखिम को पकड़ पाने और उसका विश्लेषण करने तथा समय रहते सुधारात्मक उपाय करने की दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं को जोखिम प्रबंध की उचित प्रणालियाँ लागू करनी चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ लागू करनी चाहिए कि निजी तौर पर रखे गए लिखतों में किया गया निवेश, वित्तीय संस्थाओं के लिए निवेश नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रणालियों एवं कार्यविधियों के अनुरूप हुआ है।

2.5.7.2 निदेशक मंडलों को ऐसी निगरानी प्रणाली लागू करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऊपर पैरा 2.5.6 में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का पालन अत्यंत सावधानी से किया जाता है और इसमें रेटिंग अंतरण की वजह से यदि कोई नियमभंग हो तो उसका समाधान करने की प्रणाली भी शामिल होनी चाहिए।

2.5.7.3 वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडलों द्वारा इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आनेवाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की वर्ष में दो बार, समीक्षा की जानी चाहिए :

- क) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल टर्नओवर (निवेश और विनिवेश);
- ख) रिज़र्व बैंक द्वारा आदेशित विवेकपूर्ण सीमाओं के साथ-साथ ऐसे निवेशों में निदेशक मंडलों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का भी अनुपालन;
- ग) निर्गमकर्ताओं के वित्तीय कंपनियों की बहियों में धारित प्रतिभूतियों का रेटिंग अंतरण तथा संविभाग गुणवत्ता में परिणामतः हास; तथा
- घ) नियत आय वर्ग में अनर्जक निवेशों का परिमाण

2.5.8 रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

2.5.8.1 ऋण के निजी नियोजन पर केंद्रीय डेटा बेस तैयार करने में मदद देने के लिए, निवेशकर्ता वित्तीय संस्थाओं को सभी ऑफर दस्तावेजों की एक प्रति ऋण सूचना कंपनी को प्रस्तुत करनी चाहिए जिसने प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 5 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो और जो एक सदस्य हो। जब वित्तीय संस्थाएँ निजी तौर पर शेयरों के आबंटन के माध्यम से स्वयं ही ऋण इकट्ठा कर रही हों, उन्हें भी ऑफर दस्तावेज की एक प्रति सीआईसी को प्रस्तुत करनी चाहिए।

2.5.8.2 निवेशकर्ता वित्तीय संस्थाओं को किसी भी निजी तौर पर स्थापित ऋण के ब्याज के भुगतान/किस्त की चुकौती के संबंध में हुई किसी चूक की रिपोर्ट, ऑफर दस्तावेज की एक प्रति के साथ सीआईसी में जमा करनी चाहिए।

2.5.8.3 वित्तीय संस्थाओं को सूचीबद्ध न की गई प्रतिभूतियों में अपने निवेशों के संबंध में ऐसे विवरण रिज़र्व बैंक को भी रिपोर्ट करने चाहिए जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

2.5.9 प्रकटीकरण

वित्तीय संस्थाओं को अपने तुलनपत्र की 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में निजी स्थापन और अनर्जक निवेशों के माध्यम से किए गए निवेशों के निर्गमकर्ता संघटन का विस्तृत प्रकटीकरण 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष (एनएचबी के लिए 30 जून 2004) से अनुलग्नक II में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

2.5.10 ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार और निपटान

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति में हाज़िर लेन-देनों को छोड़कर सभी व्यापार स्टॉक एक्सचेंज के व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर ही संपन्न किए जाएंगे। सेबी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अलावा वित्तीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि सूचीबद्ध और सूची में शामिल नहीं की गई ऋण प्रतिभूतियों में किए गए सभी हाज़िर लेनदेन एनडीएस पर रिपोर्ट किए जाएँ तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जानेवाली तारीख से क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल) द्वारा निपटान किया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को 1 अप्रैल 2014 से कारपोरेट बाण्ड और प्रतिभूतिकृत लिखतों में अपने द्वितीयक बाजार के ओटीसी सौदों को सौदा होने से 15 मिनट के भीतर इनमें से किसी एक स्टाक एक्सचेंज (एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स-एसएक्स) को रिपोर्ट करना होगा। ऐसे सौदों का समाशोधन और निपटान इनमें से किसी एक समाशोधन निगम (एनएससीसीएल, आईसीसीएल और एमसीएक्स-एसएक्स सीसीएल) द्वारा किया जा सकेगा।

2.5.11 कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो

अनुबंध VI में दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र संस्थाएं रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई 'ए' या उससे ऊपर रेटिंग वाली कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में अथवा ऐसी अन्य समान रेटिंग वाले एक वर्ष या उससे कम परिपक्वता अवधि वाले लिखतों के लिए रेपो कर सकती हैं, जो रेपो विक्रेता के रेपो खाते में अमूर्त रूप में धारित हैं।

2.5.12 डिमेट रूप में लिखतों की धारिता

अप्रैल 2001 में, वित्तीय संस्थाओं को निदेश दिए गए थे कि वे 30 जून 2001 से नए निवेश तथा वाणिज्य पत्र केवल डिमेट रूप में ही रखें। स्क्रिप के रूप में बकाया निवेशों को भी अक्टूबर 2001 तक डिमेट रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए था। अगस्त 2001 में वित्तीय संस्थाओं को नए निवेश और धारित निजी या अन्यथा स्थापित बांड और डिबेंचर, 31 अक्टूबर 2001 से केवल डिमेट रूप में रखने का निदेश दिया गया था तथा स्क्रिप के रूप में उपलब्ध अपने बकाया निवेशों को 30 जून 2002 तक डिमेट रूप में परिवर्तित करने के लिए कहा गया। 30 अगस्त 2004 से, वित्तीय संस्थाओं को इक्विटी लिखतों में नए निवेश करने तथा उन्हें डिमेट रूप में धारित करने की अनुमति दी गई है। दिसंबर 2004 के अंत तक इक्विटी में स्क्रिप के रूप में बकाया सभी निवेशों को डिमेट रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

2.5.13 वित्तीय संस्था के पूंजी बाजार एक्सपोजर पर सीमाएं

क. एकल आधार

किसी वित्तीय संस्था का पूंजी बाजार में सभी रूपों (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित, वित्तीय संस्था का पूंजी बाजार में सभी रूपों (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित दोनों) में सकल एक्सपोजर पिछले वर्ष 31 मार्च को उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र सीमा के भीतर समग्र सीमा के भीतर वित्तीय संस्थाओं (एनएचबी, नाबार्ड, एक्विज़म बैंक) का शेयर्स, परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर, इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिट तथा जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) [पंजीकृत और गैर-पंजीकृत, दोनों] में सभी एक्सपोजरों के लिए सीधा निवेश उसकी निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। तथापि, सिडबी के लिए शेयर, संपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर, इक्विटी उन्मुख मुच्युअल फंड के यूनिट तथा जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) [पंजीकृत और गैर-पंजीकृत, दोनों] में सभी एक्सपोजर में सीधा निवेश इस समग्र सीमा के भीतर उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

ख. समेकित आधार

किसी समेकित वित्तीय संस्था का पूंजी बाजारों (निधि-आधारित तथा गैर निधि आधारित, दोनों) में सकल एक्सपोजर पिछले वर्ष 31 मार्च को उसकी समेकित निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र सीमा के भीतर समेकित वित्तीय संस्था (एनएचबी, नाबार्ड, एक्विज़म बैंक) का शेयर्स, परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर, इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिट तथा जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) [पंजीकृत और गैर-पंजीकृत, दोनों] में सभी एक्सपोजरों के लिए सीधा निवेश उसकी समेकित निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। तथापि, सिडबी के लिए शेयर, संपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर, इक्विटी उन्मुख मुच्युअल फंड के यूनिट तथा जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) [पंजीकृत और गैर-पंजीकृत, दोनों] में सभी एक्सपोजर में सीधा निवेश इस समग्र सीमा के भीतर उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

ग. सीएमई पर जोखिम भार

- 1) वित्तीय संस्था का सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम (संयुक्त उद्यम वह है, जहां बैंक/ वित्तीय संस्था, अपनी समनुषंगियों सहित, इक्विटी का 25 प्रतिशत धारण करता है), एसएफसी, भारत में एमएसएमई के विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संरचना बनाने वाली संस्थाओं, एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए), इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ लि. (आईएसटीएसएल), इंडिया एसएमई एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.(आईएसएआरसी), नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाईनैस कॉर्पोरेशन लि.(नेडफी) आदि में इक्विटी निवेश, और साथ ही वित्तीय संस्था द्वारा सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत ऋण/ अतिदेय ब्याज के इक्विटी में परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप अभिग्रहीत शेयर को एतद् द्वारा सीएमई की गणना से छूट दी जाती है। तथापि, सूचीबद्धता के बाद भारत में एमएसएमई के विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संरचना बनाने वाली संस्थाओं में एक्सपोजर, जो मूल एक्सपोजर (अर्थात् सूचीबद्धता से पहले) से आधिक्य में है, पूंजी बाजार एक्सपोजर का भाग बनेगा (यदि वे न तो समनुषंगी हैं, न ही संयुक्त उद्यम)। इस संबंध में आप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक्सपोजर मानदंड पर मास्टर परिपत्र के पैरा 2.3.5 से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
- 2) सीएमई मानदंडों से छूट प्राप्त निवेशों पर जोखिम भार एचटीएम तथा गैर-एचटीएम वर्गों के अंतर्गत निवेश के वर्गीकरण के आधार पर लगाया जाए।
- 3) सहायक कंपनियों, जेवी (जैसा कि पैरा 1 में परिभाषित किया गया है) तथा एसएफसी में इक्विटी निवेश को एचटीएम वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- 4) निम्नलिखित वर्गों में इक्विटी निवेश को गैर-एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए।
 - संस्थाओं (जेवी के अलावा) में इक्विटी निवेश, जो एमएसएमई के विकास हेतु महत्वपूर्ण वित्तीय संरचना बनाते हैं।
 - सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत ऋण/ अतिदेय ब्याज के इक्विटी में परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभिग्रहीत शेयर
 - वीसीएफ में इक्विटी निवेश
- 5) आपके सीएमई मानदंडों से छूट-प्राप्त एक्सपोजर सहित पूंजी बाजार एक्सपोजर पर जोखिम भार का सारांश सुलभ संदर्भ हेतु अनुबंध-VII में दिया गया है।
- 6) आपको सूचित किया जाता है कि आगामी तुलन-पत्र के साथ ही उपर्युक्त विधान का प्रयोग करें।

3. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

3.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के लिए दिशानिर्देश

निवेश लेनदेनों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए :

- (i) (क) व्यापार (ख) निपटान, निगरानी और नियंत्रण तथा (ग) लेखांकन के कार्य स्पष्ट रूप से अलग-अलग होने चाहिए। इसी तरह वित्तीय संस्थाओं के निजी निवेश खातों, संविभाग प्रबंध योजना (पीएमएस) के ग्राहकों के खातों तथा अन्य ग्राहकों (दलालों सहित) के खातों के संबंध में व्यापार और पश्च कार्यालय कार्य भी अलग-अलग होने चाहिए। इस संबंध में निदिष्ट दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए ग्राहकों को संविभाग प्रबंधन सेवा प्रदान की जानी चाहिए (बैंपवि. सं. एफएससी. बीसी. 69/सी 469 - 90/91 दिनांक 18 जनवरी 1991)। साथ ही, संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहक-खातों की लेखा-परीक्षा बाहरी लेखा-परीक्षकों द्वारा अलग से करायी जानी चाहिए :
- (क) जो वित्तीय संस्थाएँ ऐसी सेवाएं स्वयं प्रदान कर सकती हैं सिर्फ उन्हें यह कार्य करना चाहिए। संविभाग प्रबंधन के लिए अपने ग्राहकों से प्राप्त की गई निधि, किसी अन्य बैंक /वित्तीय संस्था को प्रबंधन के लिए नहीं देना चाहिए।
- (ख) संविभाग प्रबंध योजना (पीएमएस) निवेश परामर्श/प्रबंध के स्वरूप का, सशुल्क, पूर्णतः ग्राहक के जोखिम पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी पूर्व-निर्धारित प्रतिलाभ (रिटर्न) की गारंटी के बिना होना चाहिए। रिटर्न से अलग ग्राहकों दी जाने वाली सेवाओं के लिए वित्तीय संस्था को एक निश्चित फीस लेनी चाहिए ।
- (ग) वित्तीय संस्थाओं/उनकी सहायक संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घ अवधि के निवेश योग्य निधि रखने के संबंध में संविभाग प्रबंधन योजना (पीएमएस) प्रदान करना चाहिए जिससे वे प्रतिभूतियों का अपना संविभाग तैयार कर किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से कम अवधि के लिए संविभाग प्रबंधन के लिए निधि स्वीकृत नहीं जानी चाहिए। किसी एक ही ग्राहक द्वारा एक से अधिक बार, लगातार, संविभाग प्रबंध के लिए निधि नियोजित करने की स्थिति में ऐसे प्रत्येक नियोजन को भिन्न खाता माना जाए तथा ऐसा प्रत्येक नियोजन कम-से-कम एक वर्ष के लिए होना चाहिए।
- (घ) संविभाग प्रबंधन के लिए स्वीकार की गई निधि को अनिवार्यतः पूंजी बाजार के साधनों जैसे शेंयरों, डिबेंचरों, बांडों, प्रतिभूतियों आदि में लगाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में संविभाग निधि माँग मुद्रा/बिल बाजार में उधार देने के लिए नहीं लगाया जाएगा, न ही कंपनी निकायों में नियोजन के लिए ।
- (ङ) अपने ग्राहकों को संविभाग प्रबंध योजना (पीएमएस) देने वाली वित्तीय संस्थाओं को प्रत्येक ग्राहक से ली गई निधि तथा उसके आधार पर किए गए निवेश का ग्राहक-वार खाता/अभिलेख रखना चाहिए तथा संविभाग खाते से संबंधित सभी जमा (वसूली ब्याज, लाभांश आदि सहित) तथा सभी नामे को ऐसे खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। संविभाग खातों में धारित प्रतिभूतियों पर ब्याज /लाभांश के संबंध में स्रोत पर की गई टैक्स कटौती को संविभाग खाते में दिखाया जाना चाहिए। खातेदार, अपने संविभाग खाते का विवरण प्राप्त करने का हकदार है ।

- (च) वित्तीय संस्था के अपने निवेश तथा पीएमएस ग्राहकों के निवेश एक दूसरे से अलग रखने चाहिए। यदि वित्तीय संस्था के निवेश खाते तथा संविभाग खाते के बीच कोई लेन-देन होता है तो वह कड़ाई से बाजार मूल्य पर होना चाहिए। यद्यपि, वित्तीय संस्था पीएमएस ग्राहकों की ओर से अपने नाम पर अपने संविभाग खाते में रहने वाली प्रतिभूतियाँ धारित कर सकती हैं, तथापि इस संबंध में स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि 'संविभाग खाते' की ओर से उसके द्वारा प्रतिभूतियाँ धारित की गई थीं। उसी प्रकार संविभाग खाते की ओर से कोई भी लेनदेन करते समय स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाना चाहिए कि यह लेनदेन संविभाग खाते से संबंधित है।
- (छ) वित्तीय संस्था की सामान्य बही में 'ग्राहक का संविभाग खाता' रखना चाहिए तथा संविभाग प्रबंधन के लिए उसके द्वारा प्राप्त सभी निधियां दैनिक आधार पर उसमें निदिष्ट होनी चाहिए। वित्तीय संस्था द्वारा संविभाग प्रबंधन के लिए स्वीकार की गई निधियों के संबंध में अपने ग्राहकों के प्रति उसकी देनदारी वित्तीय संस्था और उसकी सहायक संस्थाओं के प्रकाशित बही खातों में स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।
- (ii) सरकारी प्रतिभूति बाजार में अखंडता और सुव्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाता-धारकों को एनडीएस-ओएपर तथा ओटीएस बाजार में सौदे करते समय एफआईएमएमडीए आचार संहिता का पालन करना चाहिए।
- (iii) किये गये प्रत्येक लेनदेन के लिए इस तरह का व्यापार करने वाले डेस्क पर सौदे की पर्ची तैयार की जानी चाहिए, जिसमें सौदे के स्वरूप से संबंधित आंकड़े, प्रतिपक्ष का नाम, क्या यह सीधा सौदा है अथवा दलाल के माध्यम से और यदि दलाल के माध्यम से है तो दलाल का नाम, प्रतिभूति के ब्यौरे, राशि, मूल्य, संविदा की तारीख और समय से संबंधित ब्यौरे दिये जायें। उक्त सौदा पर्चियों पर क्रम संख्या दी जाये और उनका अलग से नियंत्रण किया जाये, ताकि प्रत्येक पर्ची का ठीक से हिसाब रखना सुनिश्चित किया जा सके। एक बार सौदा पूरा हो जाने पर व्यापारी उस सौदा पर्ची को तुरंत पश्च कार्यालय को रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग के लिए भेज दे। प्रत्येक सौदे के लिए प्रतिपक्ष को पुष्टि जारी करने की प्रणाली अवश्य होनी चाहिए। प्रतिपक्ष से अपेक्षित लिखित पुष्टि समय पर प्राप्त होने की निगरानी पश्च कार्यालय द्वारा की जानी चाहिए। उक्त पुष्टि में संविदा के सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल होने चाहिए।
- (iv) एक बार सौदा पूरा हो जाने पर जिस दलाल के माध्यम से सौदा किया गया है उसके द्वारा प्रतिपक्ष बैंक/वित्तीय संस्था के स्थान पर किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं रखा जाना चाहिए, इसी तरह सौदे में बेची गयी/खरीदी गयी प्रतिभूति के स्थान पर कोई दूसरी प्रतिभूति नहीं होनी चाहिए।
- (v) पश्च कार्यालय द्वारा पारित वाउचरों के आधार पर लेखा अनुभाग को खाता बहियां स्वतंत्र रूप से लिखनी चाहिए (दलाल /प्रतिपक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट और प्रतिपक्ष द्वारा सौदे की पुष्टि के सत्यापन के बाद वाउचर पारित किये जाने चाहिए)।
- (vi) संविभाग प्रबंध योजना के ग्राहकों (दलालों सहित) के खाते से संबंधित लेनदेनों के मामले में सभी संबंधित रिकार्डों में यह स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि उक्त लेनदेन संविभाग प्रबंधन योजना के ग्राहकों /अन्य ग्राहकों का है और वह बैंक/वित्तीय संस्था के अपने निवेश खाते का नहीं है और वित्तीय संस्था केवल न्यासी /एजेंसी की हैसियत से कार्य कर रहा है।

- (vii) जारी किये गये /प्राप्त एस जी एल अंतरण फार्मों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं की बहियों के अनुसार जमाशेष का समाधान (मिलान) तिमाही अंतराल पर लोक ऋण कार्यालयों की बहियों में शेष से किया जाना चाहिए। यदि लेनदेनों की संख्या से आवश्यक हो तो उक्त समाधान और जल्दी-जल्दी किया जाना चाहिए, जैसे कि मासिक आधार पर। इस समाधान की आवधिक जांच आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा भी की जानी चाहिए। विक्रेता बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा क्रेता बैंक /वित्तीय संस्था के पक्ष में जारी किये गये किसी भी एसजीएल अंतरण फार्म को नकारे जाने की जानकारी क्रेता बैंक वित्तीय संस्था द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को तुरंत दी जानी चाहिए। इसी प्रकार जारी की गयी/ खरीदी गयी बैंक रसीदों का भी रिकार्ड रखा जाना चाहिए। अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त बैंक रसीदों और एसजीएल अंतरण फार्मों की प्रामाणिकता के सत्यापन तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पुष्टिकरण की प्रणाली अपनायी जानी चाहिए।
- (viii) प्रतिभूतियों के लेनदेन के ब्यौरे, अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये एस जी एल अंतरण फार्मों के नकारे जाने के ब्यौरे और एक महीने से अधिक समय के लिए बकाया बैंक रसीदों के ब्यौरे और उक्त अवधि में किये गये निवेश लेनदेनों की समीक्षा की जानकारी साप्ताहिक आधार पर उच्च प्रबंध- तंत्र को देने की प्रणाली बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को अपनानी चाहिए।
- (ix) यह पुनः सूचित किया जाता है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अंतर-बैंक/वित्तीय संस्थाओं के लेनदेनों सहित तीसरी पार्टी के लेनदेनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए अपने खाते पर चेक आहरित नहीं करने चाहिए। इस प्रकार के लेनदेनों के लिए बैंकर चेक/अदायगी आदेश जारी किये जाने चाहिए।
- (x) आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग को प्रतिभूतियों की लेखा-परीक्षा निरंतर आधार पर करनी चाहिए एवं निर्धारित प्रबंधकीय नीतियों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए और पाई गई बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के प्रबंध-तंत्र को सूचित की जानी चाहिए।

3.2 दलालों के माध्यम से लेनदेन

3.2.1 निवेश लेनदेन करने के लिए दलालों को लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित दिशानिर्देश अपनाने चाहिए :

- (क) एक वित्तीय संस्था और अन्य बैंक/वित्तीय संस्था के बीच लेनदेन दलालों के खातों के माध्यम से नहीं किये जाने चाहिए। लेनदेन करने के लिए दलाल को सौदे पर देय दलाली, यदि कोई हो (यदि सौदा दलाल की सहायता से किया गया हो), का अनुमोदन लेने हेतु वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को प्रस्तुत नोट/मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए तथा अदा की गयी दलाली का प्रत्येक दलाल के लिए अलग हिसाब रखा जाना चाहिए।
- (ख) यदि कोई सौदा दलाल की सहायता से किया जाये तो दलाल की भूमिका सौदे के दोनों पक्षों को साथ लाने तक सीमित रहनी चाहिए।
- (ग) सौदे के संबंध में बातचीत के समय यह आवश्यक नहीं है कि दलाल उस सौदे के प्रतिपक्ष का नाम प्रकट करे, तथापि सौदा पूरा होने पर उसे प्रतिपक्ष का नाम बताना चाहिए और उसके संविदा नोट में प्रतिपक्ष का नाम स्पष्ट बताया जाना चाहिए।

- (घ) प्रतिपक्ष का नाम प्रकट करने वाले संविदा नोट के आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बीच सौदे का निपटान अर्थात् निधि का निपटान और प्रतिभूति की सुपुर्दगी दोनों सीधे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बीच होनी चाहिए और इस प्रक्रिया में दलाल की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।
- (ङ) वित्तीय संस्थाओं को अपने उच्च प्रबंध-तंत्र के अनुमोदन से अनुमोदित दलालों का पैनल तैयार करना चाहिए, जिस पर वार्षिक आधार पर अथवा आवश्यक हो तो और शीघ्र समीक्षा की जानी चाहिए। दलालों का पैनल बनाने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित होने चाहिए, जिसमें उनकी साख-पात्रता, बाजार में प्रतिष्ठा आदि का सत्यापन शामिल हो। जिन दलालों के माध्यम से सौदे किये जायें उनके दलालवार ब्यौरों और अदा की गयी दलाली का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।
- (च) व्यवसाय का अनुपातहीन असंगत भाग केवल एक या थोड़े से ही दलालों के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए समग्र संविदा सीमाएं वित्तीय संस्थाओं को निश्चित करनी चाहिए। किसी वित्तीय संस्था द्वारा एक वर्ष के दौरान दलालों के माध्यम से किये गये कुल लेनदेनों (क्रय और विक्रय दोनों) के 5 प्रतिशत की सीमा को प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए समग्र उच्चतम संविदा सीमा माना जाना चाहिए। इस सीमा में वित्तीय संस्था द्वारा स्वयं आरंभ किया गया व्यवसाय तथा किसी दलाल द्वारा वित्तीय संस्था को प्रस्तावित/प्रस्तुत किया गया व्यवसाय शामिल होगा। वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक वर्ष के दौरान अलग-अलग दलालों के माध्यम से किये गये लेनदेन सामान्यतः इस सीमा से अधिक न हों। तथापि, किसी कारणवश किसी दलाल के लिए समग्र सीमा बढ़ानी आवश्यक हो जाये तो उक्त लेनदेन करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में उसके विशेष कारण अभिलिखित किये जाने चाहिए। इसके साथ ही इस कार्य के बाद बोर्ड को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तत्पश्चात् निदेशक मंडल को इसकी कार्योत्तर सूचना देनी चाहिए।
- (छ) समवर्ती लेखा-परीक्षकों को, जो कोषागार परिचालनों (ट्रेज़री आपरेशन्स) की लेखा-परीक्षा करते हैं, दलालों के माध्यम से किये गये कारोबार की भी जांच करनी चाहिए और वित्तीय संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली अपनी मासिक रिपोर्ट में उसे शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उक्त सीमा से अधिक किसी एक दलाल या दलालों के माध्यम से किये गये कारोबार को, उसके कारणों सहित निदेशक मंडल/स्थानीय परामर्शी बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अर्ध वार्षिक समीक्षा में शामिल करनी चाहिए। ये अनुदेश वित्तीय संस्थाओं की सहायक संस्थाओं और म्युच्युअल फंडों पर भी लागू होते हैं।

अपवाद : प्राथमिक व्यापारियों के माध्यम से लेनदेन करने वाली वित्तीय संस्थाओं पर 5 प्रतिशत का उपर्युक्त मानदंड लागू नहीं होगा।

3.2.2 अंतर-बैंक प्रतिभूतियों के लेनदेन बैंकों /वित्तीय संस्थाओं बीच सीधे ही होने चाहिए और ऐसे लेनदेनों में किसी वित्तीय संस्था को किसी दलाल की सेवाएं नहीं लेनी चाहिए।

अपवाद :

वित्तीय संस्थाएँ प्रतिभूति लेनेदेन आपस में या गैर बैंक ग्राहकों के साथ, राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई), ओ टी सी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओटीसीईआइ) और स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बी एस ई) के सदस्यों के माध्यम से कर सकते हैं जहां लेनदेन अधिक पारदर्शी है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेनदेन, यदि ऐसे लेनदेन एनएसई, ओटीसीईआइ या बीएसई पर नहीं किये जा रहे हों तो वित्तीय संस्थाओं द्वारा, दलालों की सेवाएं लिये बिना ही, सीधे किये जाने चाहिए।

यद्यपि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में 'प्रतिभूतियां' शब्द का अर्थ, कंपनी निकायों के शेयर, डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियां और राइट्स या प्रतिभूतियों में हित है, परंतु 'प्रतिभूतियां' शब्द में कंपनी निकायों के शेयर शामिल नहीं होंगे। उपर्युक्त अपवाद के प्रयोजन के लिए इसके अलावा, उपर्युक्त अपवाद के प्रयोजन के लिए इंडियन ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत भविष्य/पेंशन निधियां और न्यास अभिशक्ति 'गैर बैंक ग्राहक' की परिधि से बाहर रहेंगे।

3.3 निवेश लेनदेनों की लेखा-परीक्षा, समीक्षा और रिपोर्ट देना

3.3.1 बैंकों को निवेश लेनदेनों की लेखा-परीक्षा, समीक्षा और सूचना देने के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना चाहिए :

क) वित्तीय संस्थाएँ अपने निवेश संविभाग की छमाही समीक्षा (30 सितंबर और 31 मार्च की) करें, जिसमें निवेश संविभाग के अन्य परिचालनगत पहलुओं के अलावा निर्धारित आंतरिक निवेश नीति और क्रियाविधि तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश स्पष्ट बताये जायें और उनका दृढ़ता से पालन करने का प्रमाणपत्र दिया जाये। यह समीक्षा अपने संबंधित निदेशक मंडल को एक महीने में अर्थात् अप्रैल के अंत और अक्टूबर के अंत तक प्रस्तुत की जाये।

ख) वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई समीक्षा रिपोर्ट की प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय) को क्रमशः 15 नवंबर और 15 मई तक प्रेषित की जानी चाहिए। वित्तीय संस्थाओं के निवेश संविभाग की छमाही समीक्षा जो कि अब तक वित्तीय संस्था प्रभाग को भेजी जाती थी, 31 मार्च 2003 को समाप्त छमाही से बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उन क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिनके क्षेत्राधिकार में संबंधित वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय स्थित हैं।

ग) दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए, खज़ाना लेनदेनों की समवर्ती लेखा-परीक्षा आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा अलग से की जानी चाहिए और उनकी लेखा-परीक्षा के परिणाम प्रत्येक महीने में एक बार बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। खज़ाना लेनदेनों की समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में पायी जाने वाली प्रमुख अनियमितताएँ तथा उनके अनुपालन की स्थिति को निवेश संविभाग की अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा में सम्मिलित किया जाए जिसे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) के क्षेत्रीय कार्यालयों के में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.4 अनुषंगी संस्थाओं/म्युच्युअल फंडों की निगरानी

- 3.4.1 पिछले वर्षों में वित्तीय संस्थाओं ने अपनी गतिविधियाँ अनेक आयामी बनाई हैं जैसे मर्चेट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, म्युच्युअल फंड, निवेश बैंकिंग, आवास वित्त आदि तथा कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएँ ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। कुछ वित्तीय संस्थाओं ने अनुषंगी संस्थाएँ या कंपनियाँ स्थापित की हैं जिनमें ऐसी गतिविधियाँ चलाने के लिए उनका काफी जोखिम निहित है। मूल वित्तीय संस्थाओं ने इन संस्थाओं की स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में बहुत जोखिम उठाया है, अतः इनके काम में कोई भी नुकसान होने पर मूल वित्तीय संस्था को हानि पहुँचती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वित्तीय संस्थाएँ, इन संस्थाओं की गतिविधियों की पूरी जानकारी रखें तथा उन पर पर्याप्त पर्यवेक्षण करें।
- 3.4.2 मूल वित्तीय संस्था को अपनी प्रायोजित सहायक संस्था/म्युच्युअल फंड के साथ व्यापारिक मानदंडों (जैसे बाज़ार मूल्य के से भिन्न मूल्य पर प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री/स्थानान्तरण/फंड की लेनदारी/ देनदारी में गलत तरीके से फायदा उठाना, प्रतिभूतियों के लेनदेन में विशेष तरजीह देना, सहायक संस्था की तरफदारी/वित्तपोषण करने में जरूरत से ज़्यादा ध्यान देना, बैंक के ग्राहकों का तब वित्तपोषण करना जब स्वयं बैंक ऐसा करने में समर्थ न हो या उसे इसकी अनुमति न हो आदि) से "सुरक्षित अंतर" बनाए रखना चाहिए, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वे स्वस्थ तरीके से परिचालित हो रही हैं और विवेकपूर्ण अपेक्षाएं पूरी करती हैं। तथापि, मूल वित्तीय संस्था द्वारा सहायक संस्था/म्युच्युअल फंड के पर्यवेक्षण से उसके दैनंदिन प्रबंधकीय मामलों में दखल नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय संस्थाएं इस संबंध में समुचित रणनीति बनाएँ। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दर्शाए गए हैं :
- (i) मूल/प्रायोजक वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल को अपनी सहायक संस्था/ म्युच्युअल फंड के कार्य की समीक्षा (कम से कम छः महीने में एक बार) करनी चाहिए जिसमें कार्य प्रणाली संबंधी सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर सुधार के लिए उचित मार्गदर्शन दें। ऐसी रिपोर्ट की प्रतियाँ, निदेशक मंडल के प्रतिवेदन के साथ रिज़र्व बैंक को सूचनार्थ प्रेषित करें।
 - (ii) मूल वित्तीय संस्था सहायक संस्था/म्युच्युअल फंड की बहियों और खातों के समुचित सांविधिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा करवाए तथा सुनिश्चित करे कि पाई गई कमियाँ बिना समय गंवाए दूर कर ली जाएँ। यदि वित्तीय संस्था महसूस करती है कि उसका स्वयं का स्टाफ निरीक्षण /लेखा-परीक्षा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है, तो यह कार्य बाहरी एजेंसियों, जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की फर्मों से करवाया जा सकता है। निरीक्षण/लेखा-परीक्षा करवाने में यदि कोई तकनीकी कठिनाई हो (जैसे-सहायक संस्था या आस्ति प्रबंधन कंपनी के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों में समर्थक खंड न होने के कारण) तो इन्हें संशोधित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
 - (iii) म्युच्युअल फंड के मामले में निगरानी करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देश ध्यान में रखे जाएँ।
 - (iv) उन मामलों में, जहाँ वित्तीय संस्थाओं ने वित्तीय सेवाएँ देने वाली कंपनियों में संविभाग निवेश के माध्यम से ईक्विटी की सहभागिता की हो, वे उन कंपनियों के कार्य की कम से कम वार्षिक आधार

पर समीक्षा कर निदेशक मंडल को समीक्षा नोट प्रस्तुत करें। निदेशक मंडल के प्रस्ताव सहित समीक्षा नोट की एक प्रति हमारी सूचना के लिए भेजें।

- 3.4.3 कुछ मामलों में, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया है जिनमें प्रत्येक संस्था की अच्छी खासी ईक्विटी ढाँव पर लगी होती है, यद्यपि, प्रवर्तित संस्था किसी भी प्रवर्तक वित्तीय संस्था की सहायक संस्था नहीं है। ऐसे मामलों में, उक्त कंपनियों/संस्थाओं की निगरानी ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा की जाए जिसने प्रवर्तित कंपनी/संस्था में सबसे अधिक ढाँव या अधिकांश ढाँव लगाया है। प्रवर्तक वित्तीय संस्थाओं में बराबर की शेयरधारिता होने के मामले में, उन्हें इस प्रयोजन के लिए आपस में सभी के अनुकूल व्यवस्था बनानी चाहिए, तथा जिस/जिन मूल संस्थाओं को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसका उनका नाम हमारी सूचना के लिए बताएँ। इसी प्रकार कुछ कंपनियों को, कुछ वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकों के साथ संयुक्त रूप प्रोत्साहन दिया गया होगा, इन मामलों में भी विस्तृत पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक उचित व्यवस्था बनाई जाए जिसे सभी ईक्विटी धारकों की सहमति प्राप्त हो, और इसकी सूचना हमें दी जाए।

4. निवेशों का वर्गीकरण

4.1 तीन श्रेणियाँ

वित्तीय संस्थाओं के समग्र निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों, अर्थात् 'अवधिपूर्णता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'ट्रेडिंग के लिए धारित' में वर्गीकृत किया जायेगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अवधिपूर्णता तक धारित किए जाने के इरादे से प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को अवधिपूर्णता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर उतार-चढ़ाव का लाभ लेकर व्यापार की इच्छा से प्राप्त प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग के लिए धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। उपर्युक्त दो वर्गों के अंतर्गत नहीं आने वाली प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

4.2 अभिग्रहण के समय श्रेणी का निर्णय

वित्तीय संस्थाओं को निवेश की श्रेणी के बारे में निर्णय अर्जन के समय करना चाहिए, तथा निर्णय को निवेश संबंधी प्रस्तावों पर दर्ज किया जाना चाहिए।

4.3 अवधिपूर्णता तक धारित (एचटीएम)

- 4.3.1 अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ चलते हुए केवल ऋण प्रतिभूतियों को ही एच टी एम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए। इसमें अपवादस्वरूप जिनकी अनुमति दी गई है (नीचे पैरा 4.3.4 में दिए गए ब्योरे के अनुसार) वे हैं, केवल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में धारित ईक्विटी, अग्रिम के स्वरूप में अधिमान शेयरों में निवेश, गैर-परियोजना से संबंधित प्रतिदेय शेयर तथा म्युच्युअल फंडों की नियतकालिक स्कीमों की यूनितों में निवेश यदि ये यूनितें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं (क्योंकि नियतकालिक स्कीमों की यूनितों को किसी भी समय बाजार में बेचा जा सकता है; अतः जिन्हें एफएस या एचएफटी श्रेणी में रखा जाना चाहिए)।

- 4.3.2 "अवधिपूर्णता तक धारित" के अंतर्गत शामिल निवेशों को कुल निवेशों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वित्तीय संस्थाएँ स्वविवेक से अवधिपूर्णता तक धारित श्रेणी की प्रतिभूतियों में कुल निवेश के 25 प्रतिशत से कम निवेश कर सकती हैं।

4.3.3 अन्य वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा निर्गमित टियर II बांडों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा, निवेशक वित्तीय संस्था की कुल पूंजी के 10 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है। इस उद्देश्य के लिए कुल पूंजी वही होगी जो कि पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से संगणिक की गई है।

4.3.4 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा का अभिकलन:

एचटीएम श्रेणी में 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा का अभिकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के निवेशों को कुल निवेशों में शामिल नहीं करना चाहिए। तथा शेष राशि का 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा का निर्माण करेगा :

- क) सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में धारित ईक्विटी;
- ख) निर्धारित मानदंड से युक्त और अग्रिम के रूप में माने जाने वाले बांड डिबेंचर तथा अधिमान शेयर;
- ग) अग्रिम के रूप में अन्य निवेश (ईक्विटी शेयर) जो कि ए एफ एस श्रेणी में धारित हैं ।

4.3.5 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा से छूट

निम्नलिखित निवेशों को 'अवधिपूर्णता तक धारित' को अंतर्गत शामिल किया जाएगा, परंतु इस श्रेणी के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के उद्देश्य से इनकी गणना नहीं की जाएगी :

क) सहायक संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश :

संयुक्त उद्यम उस संस्था को कहा जाएगा जिसमें कोई वित्तीय संस्था (अपनी किसी सहायक संस्था की धारिता, यदि कोई हो, सहित) किसी वाणिज्यिक उद्देश्य को विकसित करने के लिए, वित्तीय संस्था तथा संयुक्त उद्यम पार्टनर (रों) के बीच/साथ किए गए एक संयुक्त उद्यम करार के अनुसरण में ईक्विटी पूंजी की 25 प्रतिशत से अधिक धारिता रखती है । इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाई गई कंपनियाँ जिनमें वह वित्तीय संस्था (यदि सहायक संस्थाओं की धारिता है तो उसके सहित) ईक्विटी शेयर पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक धारिता रखती है तो उसे भी संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। निवेश के अंतरण तथा किसी संविधि के परिचालन के कारण किसी वित्तीय संस्था में निवेश के प्रेषण के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अतः किसी कापोरिट संस्था के शेयर संविधि के परिचालन के कारण किसी वित्तीय संस्था में प्रेषित कर दिए जाते हैं तथा उसकी अपनी संकल्प शक्ति से अजिन्त नहीं किए जाते हैं, तो ऐसी संस्थाओं को संयुक्त उद्यम कहा जाएगा तथा तदनुसार इनमें धारित शेयरों को रिज़र्व बैंक के मौजूदा मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत और मूल्यांकित किया जाएगा ।

केवल ऐसी ईक्विटी धारिता, तथा सहायक संस्थाओं में धारित ईक्विटी को एचटीएम श्रेणी में रखा जाएगा और उस स्थान पर नहीं, जहाँ पर कोई वित्तीय संस्था अपनी सहायक संस्थाओं के साथ ऋण के परिवर्तन, उद्यम पूंजी सहायता आदि के परिणामस्वरूप ईक्विटी में 25 प्रतिशत से अधिक अर्जित करती है ।

ख) डिबेंचरों/बांडों में निवेश, जिन्हें अग्रिम स्वरूप माना जाए :

बांडों और डिबेंचरों को अग्रिम के स्वरूप में माना जाए जब :

- डिबेंचर /बांड परियोजना वित्त के प्रस्ताव के भाग के रूप में जारी किया जाए तथा डिबेंचर की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक हो

और

- उस निर्गम में वित्तीय संस्था की हिस्सेदारी उल्लेखनीय हो, अर्थात् 10 प्रतिशत या अधिक की हो।
- और
- निर्गम निजी तौर पर नियोजन का एक अंग हो, अर्थात् उधारकर्ता ने वित्तीय संस्था से संपर्क किया हो तथा वह सार्वजनिक निर्गम का अंग न हो, जिसमें वित्तीय संस्था द्वारा अभिदान के लिए आमंत्रण के प्रत्युत्तर में अभिदान किया गया हो।

ग) अधिमान शेयर

अपनी सुनिश्चित अवधिपूर्णता के कारण परिवर्तनीय अधिमान शेयरों को छोड़कर सभी अधिमान शेयरों, को निम्नलिखित के अधीन एच टी एम श्रेणी में शामिल किया जाए, चाहे उनकी परिपक्वता अवधि कुछ भी न हो :

- परिवर्तनीय अधिमान शेयर को छोड़कर सभी अधिमान शेयर परियोजना वित्तपोषण के हिस्से के तौर पर अर्जित तथा बांडों एवं डिबेंचरों को 'अग्रिम के स्वरूप' में मानने के वर्तमान मानदंड को पूरा करने वाले अधिमान शेयरों को अग्रिम के स्वरूप में माना जाए। ऐसे अधिमान शेयरों की गणना भी एच टी एम श्रेणी में निवेशों के 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।
- ऋणों /डिबेंचरों के परिवर्तन से अर्जित किए अधिमान शेयरों, जो कि वर्तमान मानदंडों के अनुसार अग्रिम के स्वरूप में पात्र होते हैं, को भी अग्रिम के स्वरूप में माना जाए तथा तदनुसार ही वर्गीकृत और मूल्यांकित किया जाए। ऐसे अधिमान शेयरों की भी गणना एच टी एम श्रेणी में निवेशों के 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

अन्य सभी अधिमान शेयर, यदि एच टी एम श्रेणी में रखे जाते हैं, तो उन्हें एच टी एम श्रेणी में निवेशों के लिए अपेक्षित 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर रखा जाएगा। ऐसे शेयर अर्जन की लागत पर मूल्यांकित किए जाएंगे जब तक कि उनका अर्जन प्रीमियम पर नहीं किया गया हो, जिस स्थिति में उनका मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाएगा। इन शेयरों के मूल्य में अस्थायी हास के अलावा किसी भी हास को निर्धारित किया जाएगा तथा प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाएगा तथा अन्य अधिमान शेयरों में मूल्यवृद्धि के आधार पर समंजन नहीं किया जाएगा।

इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ को पहले लाभ और हानि लेखे में लिया जाएगा तथा उसके बाद पूंजी रिज़र्व खाते में उसका विनियोग किया जाएगा। बिक्री पर हुई हानि को लाभ-हानि लेखे में ले जाया जाएगा।

4.4 बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित

- 4.4.1 वित्तीय संस्थाओं को बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए धारित श्रेणियों के अंतर्गत धारिता की सीमा पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता रहेगी। आशय का आधार, व्यापार रणनीतियाँ, जोखिम

प्रबंध क्षमताएँ, टैक्स आयोजना, श्रम कौशल, पूंजी की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद उसके और उन्हें यह निर्णय लिया जाएगा।

- 4.4.2 ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश वे होंगे जिनकी ब्याज दरों/बाजार दरों के उतार-चढ़ाव से लाभ होने का अनुमान वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन प्रतिभूतियों को 90 दिनों के भीतर बेचा जाना होता है। यदि, चलनिधि की सख्त सरलता की स्थितियों, या अति अस्थिरता, या बाजार के एक दिशागत हो जाने जैसी अपवादात्मक स्थितियों के कारण वित्तीय संस्था प्रतिभूति को 90 दिनों के भीतर नहीं बेच पाती है तो उसे बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में अंतरित कर दिया जाएगा।
- 4.4.3 दोनों ही श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में रखा जाएगा।

4.5 श्रेणियों के बीच अंतरण

- 4.5.1 वित्तीय संस्थाएं अवधिपूर्णता तक धारित श्रेणी में /से निवेशों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरित कर सकती हैं। आम तौर पर लेखा-वर्ष के प्रारंभ में ऐसे अंतरण की अनुमति दी जायेगी। उस लेखा-वर्ष के शेष भाग में इस श्रेणी में से किसी और अंतरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5.2 वित्तीय संस्थाएं निदेशक मंडल /आस्ति-देयता प्रबंधन समिति /निवेश समिति के अनुमोदन से बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी से ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में निवेश अंतरित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय संस्था के मुख्य कार्यपालक/ आस्ति-देयता प्रबंधन समिति के प्रमुख के अनुमोदन से इस प्रकार का अंतरण किया जा सकता है, परंतु इसका अनुसमर्थन निदेशक मंडल/ आस्ति-देयता प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना चाहिए।
- 4.5.3 आम तौर पर ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में निवेशों के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, ऊपर बतायी गयी अपवादात्मक परिस्थितियों के अंतर्गत निदेशक मंडल /आस्ति-देयता प्रबंधन समिति /निवेश समिति के अनुमोदन से अंतरण की तारीख को लागू मूल्यहास, यदि कोई हो, के अधीन इसकी अनुमति दी जायेगी।
- 4.5.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्क्रिपों का अंतरण सभी परिस्थितियों में अंतरण की तारीख को अर्जन की लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी सबसे कम हो, पर किया जाना चाहिए तथा ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।
- 4.5.5 यदि वर्ष के आरंभ में एचटीएम संवर्ग में धारित निवेश के बही मूल्य से 5 प्रतिशत से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियाँ एचटीएम संवर्ग में /से अंतरित/बिक्री की जाती हैं तो वित्तीय संस्था को एचटीएम संवर्ग में धारित निवेशों का बाजार मूल्य प्रकट करना चाहिए तथा बाजार मूल्य की तुलना में बही मूल्य के आधिक्य को निर्दिष्ट करना चाहिए जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह प्रकटीकरण वित्तीय संस्था के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में किया जाना चाहिए।

5. निवेशों का मूल्यांकन

5.1 अवधिपूर्णता तक धारित

- 5.1.1 अवधिपूर्णता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार भाव पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है तथा इसे अर्जन की लागत पर, अंकित मूल्य से अधिक न होने की स्थिति में, दर्शाया जायेगा। अर्जन की लागत अंकित मूल्य से अधिक होने पर प्रीमियम की राशि अवधिपूर्णता तक की शेष अवधि में परिशोधित की जानी चाहिए।
- 5.1.2 वित्तीय संस्थाओं को 'अवधिपूर्णता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत शामिल सहायक संस्थाओं /संयुक्त उद्यमों में अस्थायी कमी को छोड़कर अपने निवेशों के मूल्य में हुई किसी भी कमी, को हिसाब में लेते हुए उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। ऐसी कमी निर्धारित की जानी चाहिए और प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाना चाहिए।
- 5.13 निवेश के मूल्य में स्थायी गिरावट हुई है या नहीं - इसे निर्धारित करना एक सतत प्रक्रिया है और निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसा मूल्य निर्धारण आवश्यक हो जाएगा :

(क) कोई ऐसी घटना हो जिससे पता चलता हो कि निवेश के मूल्य में स्थायी गिरावट आयी है। ऐसी घटना निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है :

- (i) कंपनी ने अपनी ऋण देयताओं की चुकौती में चूक की है।
- (ii) कंपनी को किसी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा दिए गए ऋण की पुनर्चना की गयी है।
- (iii) कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के स्तर को घटाकर निवेश स्तर के नीचे कर दिया गया है।

(ख) जब कंपनी को लगातार तीन वर्ष हानि हुई हो और उसके फलस्वरूप उसकी निवल मालियत में 25% या उससे अधिक की कमी आ गई हो।

(ग) किसी नई कंपनी अथवा किसी नई परियोजना के मामले में जब लाभ-अलाभ का स्तर हासिल करने की मूल रूप से अनुमानित तारीख को आगे बढ़ा दिया गया हो अर्थात् कंपनी अथवा परियोजना ने मूल रूप में परिकल्पित उत्पादन पूर्व अवधि (जेस्टेशन पीरिएड) के भीतर लाभ-अलाभ का स्तर हासिल नहीं किया हो।

- 5.14 किसी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश अथवा किसी अहम निवेश के संबंध में जब यह निर्धारित करना जरूरी हो कि क्या उनके मूल्य में स्थायी गिरावट आयी है तो वित्तीय संस्थाओं को किसी प्रतिष्ठित/योग्यताप्राप्त मूल्यनकर्ता से निवेश का मूल्यन प्राप्त करना चाहिए और यदि उसमें कोई मूल्यक्षरण आया हो तो उसके लिए उन्हें प्रावधान करना चाहिए।

5.2 बिक्री के लिए उपलब्ध

- 5.2.1 बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के प्रत्येक स्क्रिप को वर्षान्त या उससे कम अंतरालों पर मार्कड-टू-मार्केट श्रेणी में रखा जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास को हिसाब में लिया जाएगा और इसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा, लेकिन इन वर्गीकरणों के अंतर्गत मूल्य- वृद्धि को नज़रअंदाज किया जाएगा। प्रत्येक बही-मूल्यों में प्रतिभूति के पुनर्मूल्यन के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा।

- 5.2.2 निवेश का वर्गीकरण निम्नलिखित में किया जाएगा - (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर (iv) डिबेंचर और बांड (v) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम (vi) अन्य (वाणिज्य पत्र, म्यूच्युअल फंड यूनिटें आदि)
- 5.2.3 इस श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का स्क्रिप-वार मूल्यन किया जाएगा और उपर्युक्त के प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यहास/मूल्य वृद्धि को जोड़ दिया जाएगा। यदि कोई शुद्ध मूल्यहास आये तो उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। यदि कोई शुद्ध मूल्यवृद्धि हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा। किसी एक वर्गीकरण में शुद्ध मूल्यहास के लिए अपेक्षित प्रावधान को किसी दूसरे वर्गीकरण में शुद्ध मूल्यवृद्धि के कारण कम नहीं किया जाना चाहिए।
- 5.2.4 किसी वर्ष बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में मूल्यहास के कारण किए जाने वाले प्रावधानों को लाभ-हानि लेखे में नामे लिखा जाना चाहिए और उतनी ही राशि (यदि कर में कोई लाभ मिला हो तो उसे निकाल कर शुद्ध राशि) या निवेश में घट-बढ़ हेतु प्रारक्षित निधि खाते में उपलब्ध शेष राशि, जो भी कम हो, निवेश में घट-बढ़ हेतु प्रारक्षित निधि खाते से लाभ और हानि खाते में अंतरित की जायेगी। यदि किसी वर्ष बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में मूल्यहास के कारण किए गए प्रावधान अपेक्षित राशि से अधिक हों तो अतिरिक्त राशि लाभ-हानि लेखे में जमा लिखी जानी चाहिए और उतनी ही राशि (यदि कोई कर हों तो उन्हें घटाकर शुद्ध राशि) इस श्रेणी में निवेशों के लिए भावी मूल्यहास अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले निवेश में घट-बढ़ हेतु प्रारक्षित निधि खाते में विनियोजित की जानी चाहिए। प्रावधान करने के लिए लाभ-हानि लेखे में नामे लिखी गयी और अतिरिक्त प्रावधान के प्रत्यावर्तन के लिए लाभ-हानि लेखे में जमा लिखी गयी राशियां 'व्यय-प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः नामे और जमा लिखी जानी चाहिए। लाभ-हानि लेखे से विनियोजित और निवेश में घट-बढ़ हेतु प्रारक्षित निधि से लाभ-हानि लेखे में अंतरित राशियों को वर्ष का लाभ निश्चित करने के बाद 'बिलो दि लाइन' मर्दों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

5.3 ट्रेडिंग के लिए धारित

ट्रेडिंग के लिए धारित शेयरों की श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली अलग-अलग स्क्रिपों का मासिक या कम अवधि के अंतराल पर बाज़ार मूल्य के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा और उपर्युक्त छह वर्गीकरणों में से प्रत्येक के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को आय लेखे में निर्धारित किया जाएगा। पुनः मूल्यांकित करने के बाद अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य परिवर्तित हो जाएगा।

5.4 सामान्य

तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल जिन प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज/मूलधन बकाया हो, वित्तीय संस्थाओं को इन प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करनी चाहिए और निवेश के मूल्य में हास के लिए उपयुक्त प्रावधान भी करना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को इन अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास संबंधी अपेक्षाओं को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में हुई मूल्यवृद्धि के लिए समंजित (सेट ऑफ) नहीं करना चाहिए।

5.5 बाज़ार-मूल्य

'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यन के प्रयोजन के लिए 'बाज़ार मूल्य' उस स्क्रिप का वह बाज़ार भाव होगा जो शेयर बाज़ारों पर ट्रेड/कोट, एस जी एल खाते के लेनदेनों के मूल्य, भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, आवधिक तौर पर फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स

एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआइएमएमडीए) के साथ संयुक्त रूप से भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्य से उपलब्ध हो। कोट न की गयी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए।

5.6 कोट न की गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

5.6.1 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ

- i) वित्तीय संस्थाओं को पीडीएआई/एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक अंतरालों पर प्रदर्शित किए गए मूल्यों/वाईटीएम दरों के आधार पर कोट न की गई केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करना चाहिए।
- ii) खजाना बिलों का रखाव लागत पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- iii) मूल्यांकन के सीमित प्रयोजन के लिए, भारत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी संस्थाओं को जारी सभी विशेष प्रतिभूतियों, जिन्हें एसएलआर का दर्जा नहीं है, का मूल्यांकन भारत सरकार प्रतिभूतियों के तदनुसूची प्रतिफल के ऊपर 25 आधार अंक स्प्रेड पर किया जाएगा। वर्तमान में ऐसी विशेष प्रतिभूतियों में निम्नलिखित शामिल हैं : तेल बांड, उर्वरक बांड; भारतीय यूनिट ट्रस्ट, आइएफसीआई लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और पूर्ववर्ती जहाजरानी विकास वित्त निगम को जारी बांड।

5.6.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ

राज्य सरकार की कोट न की गई प्रतिभूतियों का मूल्यन पीडीएआई/एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत समतुल्य अवधिपूर्णता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिलाभों से ऊपर 25 आधार अंक पर उसे मार्क करते हुए वाईटीएम पद्धति लागू करके किया जाएगा।

5.6.3 अन्य 'अनुमोदित' प्रतिभूतियाँ

अन्य 'अनुमोदित' प्रतिभूतियों का मूल्यन पीडीएआई/एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली समान अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल के ऊपर 25 आधार अंक द्वारा मार्किंग करके अवधिपूर्णता की तुलना में प्रतिलाभ (वाईटीएम) पद्धति लागू करके किया जाएगा।

5.6.4 डिबेंचर/ बांड

डिबेंचरों/बांड से इतर अग्रिम स्वरूप वाले सभी डिबेंचरों/बांडों का मूल्यन अवधिपूर्णता पर प्रतिलाभ (वाईटीएम) के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार के डिबेंचर/बांड विभिन्न कंपनियों के और भिन्न-भिन्न रेटिंग वाले हो सकते हैं। इनका मूल्यन पीडीएआई/ एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जानेवाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों के ऊपर उचित रूप से मार्कअप करके किया जायेगा।

5.6.5 यह मार्कअप श्रेणी-निर्धारक (रेटिंग) एजेंसियों द्वारा डिबेंचरों/बांडों को दी गयी श्रेणी के अनुसार ग्रेड रूप में दिया जाता है, जो निम्नलिखित बातों के अधीन होता है :

- (क) श्रेणी-निर्धारित (रेटेड) डिबेंचरों/बांडों के लिए अवधिपूर्णता पर प्रतिलाभ (वाइटीएम) के लिए प्रयुक्त दर समान अवधिपूर्णता वाले भारत सरकार के ऋण के लिए लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक अधिक होनी चाहिए।
- (ख) जिनका श्रेणी-निर्धारण नहीं हुआ है (अनरेटेड) ऐसे डिबेंचरों/बांडों के लिए अवधिपूर्णता पर प्रतिलाभ (वाइटीएम) के लिए प्रयुक्त दर समान अवधिपूर्णता के दरयुक्त डिबेंचरों/बांडों के लिए लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए। जिनका श्रेणी-निर्धारण नहीं हुआ है ऐसे डिबेंचरों/बांडों के लिए मार्कअप में वित्तीय संस्था द्वारा उठाया जानेवाला ऋण जोखिम उचित रूप से परिलक्षित होना चाहिए।
- (ग) जहां डिबेंचरों/ बांडों पर ब्याज/मूलधन बकाया हो, वहां अग्रिमों के रूप में माने गये डिबेंचरों/ बांडों की तरह ही उक्त डिबेंचरों बांडों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। जहां ब्याज बकाया हो अथवा मूलधन की चुकौती देय तिथि के अनुसार न की गयी हो, वहां डिबेंचरों के लिए मूल्यहास/प्रावधान की अपेक्षा को अन्य डिबेंचरों/ बांडों के संबंध में होनेवाली मूल्यवृद्धि से समंजित करने (सेट आफ करने) की अनुमति नहीं होगी।

जहां डिबेंचर/बांड को कोट किया गया हो और मूल्यन तारीख से 15 दिन के अंदर लेनदेन हुआ हो तो अपनाया गया मूल्य शेयर बाज़ार में रिकार्ड किये गये लेनदेन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.6.6 जीरो कूपन बॉन्ड

अब से वित्तीय संस्थाओं को जीरो कूपन बॉन्डों में निवेश नहीं करना चाहिए, बशर्ते जारीकर्ता ने सभी उपचित ब्याज के लिए निक्षेप निधि बनाई हो और उसे तरल निवेश/प्रतिभूतियों में निविष्ट रखा हो। यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि बैंक/वित्तीय संस्थाएं ऐसे बॉन्डों में निवेश कर रहे हैं, जिनका कूपन बहुत कम है और जो बाजार से संबंधित नहीं हैं, और इसलिए परिपक्वता पर बहुत अधिक प्रीमियम पर मोचन किया जाता है। इसलिए इन बॉन्डों में जीरो कूपन बॉन्डों के समान ही क्रेडिट जोखिम है। वित्तीय संस्थाओं को ऐसे कम कूपन बॉन्डों में निवेश नहीं करना चाहिए, बशर्ते जारीकर्ता ने बॉन्ड पर लागू वायटीएम के आधार पर तथा बॉन्ड पर अदा किए जाने वाले वास्तविक कूपन के अंतर की सीमा तक उपचित ब्याज के लिए निक्षेप निधि बनाई हो और उसे तरल निवेश/प्रतिभूतियों (सरकारी बॉन्ड) में निविष्ट रखा हो। इसके अलावा, वित्तीय संस्थाएं ऐसे निवेशों में अपने निवेशों के लिए सतर्क सीमाएं निर्धारित करें।

5.6.7 अधिमान शेयर

- क. अधिमान शेयर जो अग्रिम के स्वरूप के नहीं हैं
- क.1 कर मुक्त (टैक्स फ्री) अधिमान शेयर

जब आय कर अधिनियम के तहत अधिमान शेयरों पर लाभांश कर मुक्त था तब प्राप्त हुई विशिष्ट पृष्ठताछ के संदर्भ में ऐसे अधिमान शेयरों के मूल्यन के लिए अक्टूबर 2001 में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये थे।

अवधिपूर्णता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गये अधिमान शेयरों को छोड़कर तथा कोट न किये गये कर मुक्त अधिमान शेयरों के मूल्यन के लिए कर मुक्त बांडों के मूल्यन हेतु निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न

(डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआइएमएमडीए) द्वारा तैयार किये गये दिशा-निर्देशों का पालन निम्नलिखित क्रियाविधि के अनुसार किया जाना चाहिए :

- (क) कर सहित लाभांश दर निकालने के लिए वित्तीय संस्था (एफआइ) की सीमांत आयकर दर से अधिमान शेयरों पर नाम मात्र (कर मुक्त) लाभांश दर को जोड़ना जो वर्ष-प्रति वर्ष बदल सकती है;
- (ख) एफआइएमएमडीए द्वारा घोषित दर से समान अवशिष्ट परिपक्वता वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का परिपक्वता प्रतिफल (वायटीएम) निकालना;
- (ग) उपर्युक्त चरण (ख) में निकाले गये भारत सरकार की प्रतिभूति के परिपक्वता प्रतिफल में जोखिम श्रेणी के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ द्वारा निर्धारित लागू ऋण स्प्रेड/जोखिम प्रीमियम (अधिमान शेयरों के रेटिंग के अनुसार) जोड़ना;
- (घ) जिनकी श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है ऐसे अधिमान शेयरों के मामले में उपर्युक्त (ख) में निकाले गये भारत सरकार की प्रतिभूति के परिपक्वता प्रतिफल को जोड़े जानेवाले ऋण स्प्रेड/जोखिम प्रीमियम को निम्नानुसार निर्धारित किया जाना चाहिए :
- (i) यदि श्रेणी निर्धारित न किये गये अधिमान शेयरों को जारी करनेवाली कंपनी के पास अन्य दूसरे दर निर्धारित किये गये लिखत हैं जो बकाया हैं, तो उस श्रेणी निर्धारण के नीचे एक पूर्ण खांचा दर निकालना चाहिए। (उदाहरणार्थ 'एएए' श्रेणी निर्धारण के लिए केवल 'एए' श्रेणी निर्धारण को गिनना चाहिए)। यदि कंपनी द्वारा जारी एक से अधिक श्रेणी निर्धारित लिखत बकाया हैं, तो जिस लिखत का हाल ही में श्रेणी निर्धारण किया गया हो उस लिखत को गिना जाना चाहिए। एफआइएमएमडीए द्वारा घोषित ऐसे श्रेणी निर्धारण के अनुसार जोखिम स्प्रेड भारत सरकार की प्रतिभूति के परिपक्वता प्रतिफल में जोड़ा जानेवाला स्प्रेड होगा।
- (ii) यदि अधिमान शेयर जारी करनेवाली कंपनी के अन्य दूसरे लिखत का श्रेणी निर्धारण न किया गया हो और जो बकाया हो तो न्यूनतम निवेश ग्रेड वाला बांड अर्थात् 'बीबीबी' श्रेणी निर्धारित बांड पर लागू स्प्रेड से कम ऋण स्प्रेड भारत सरकार की प्रतिभूति के परिपक्वता प्रतिफल में जोड़े जानेवाला स्प्रेड होगा।
- (ङ) उपर्युक्त चरण (क) का कुल/कर सहित लाभांश दर की तुलना उपर्युक्त चरण (ग) या (घ) में निकाले गये अधिमान शेयर की जोखिम समायोजित परिपक्वता प्रतिफल के साथ करें और इन दोनों दरों में से उच्चतर दर का अधिमान शेयर के मूल्यन हेतु प्रभावी परिपक्वता प्रतिफल के रूप में प्रयोग करें।
- (च) जहां अधिमान शेयर में निवेश पुनर्वास के एक भाग के रूप में है वहां परिपक्वता प्रतिलाभ की दर समान परिपक्वता वाले भारत सरकार के ऋण के लिए कूपन दर/परिपक्वता प्रतिलाभ के ऊपर 1.5 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- (छ) जहां अधिमान लाभांश बकाया हो वहां ऋण को प्रोद्भूत लाभांश के लिए नहीं लेना चाहिए (लंबित अवधि की गणना वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार की जानी चाहिए) और बकाया राशि यदि एक वर्ष के लिए हो तो परिपक्वता प्रतिफल पर निर्धारित मूल्य में कम-से-कम 15 प्रतिशत की दर पर बढ़ा किया जाना

चाहिए और यदि बकाया राशि एक वर्ष से अधिक समय के लिए हो तो इससे अधिक बढ़ा दिया जाना चाहिए। जहां लाभांश बकाया है वहां अनर्जक शेयरों के संबंध में उपर्युक्त पद्धति के अनुसार मूल्यहास/प्रावधान की अपेक्षा को आय देनेवाले अन्य अधिमान शेयरों पर मूल्यवृद्धि में से समंजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति नहीं होगी।

(ज) जब किसी अधिमान शेयर का व्यापार मूल्यन की तारीख से 15 दिन पहले की अवधि में शेयर बाजार में किया गया हो, तो उसका मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए, जिस मूल्य पर व्यापार किया गया हो।

क.II कर योग्य लाभांश के साथ अधिमान शेयर

वित्त अधिनियम, 2002 (जो अब कर प्रयोजनों के लिए लाभांश बहिर्गमन से लाभांश अंतर्वाह के समायोजन की अनुमति देता है) में लाभांश आय के संबंध में कर व्यवहार में हुए परिवर्तनों को देखते हुए अधिमान शेयरों पर लाभांश के कर मुक्त स्वरूप के लिए परिपक्वता प्रतिफल में समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। कोट न किए गये अधिमान शेयरों के लिए निम्नलिखित मूल्यन प्रणाली अपनायी जानी चाहिए:

क) अधिमान शेयरों का परिपक्वता प्रतिफल उसके नकदी प्रवाह प्रोफाईल के अनुसार निर्धारित करें;

ख) समान अवशिष्ट परिपक्वता की भारत सरकार की प्रतिभूति के लिए परिपक्वता प्रतिफल निर्धारित करें और रेटिंग एजेंसियों द्वारा अधिमान शेयरों की श्रेणी निर्धारण के अनुसार लागू ऋण स्प्रेड/जोखिम प्रीमियम जोड़ें, बशर्ते;

- (i) श्रेणी निर्धारित न किये गये अधिमान शेयरों के लिए प्रयोग की गयी दर समान परिपक्वता वाले श्रेणी निर्धारित अधिमान शेयरों की लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए। श्रेणी निर्धारित न किये गये शेयरों के लिए बढ़ाया मूल्य वित्तीय संस्था द्वारा वहन किए गए ऋण जोखिम को उचित रूप में प्रतिबिंबित करता हो। श्रेणी निर्धारित न किये गये अधिमान शेयरों को जारी करनेवाली कंपनी के पास यदि कोई भी अन्य श्रेणी निर्धारित लिखत हो जो बकाया है तो उस श्रेणी निर्धारण के नीचे एक पूर्ण खांचा दर निकालना चाहिए। (उदाहरणार्थ- 'एएए' श्रेणी निर्धारण के लिए केवल 'एए' श्रेणी निर्धारण को गिना चाहिए)। यदि कंपनी द्वारा जारी एक से अधिक श्रेणी निर्धारित लिखत बकाया है, तो जिस लिखत का हाल ही में श्रेणी निर्धारण किया गया हो उस लिखत को गिना जाना चाहिए। एफआइएमएमडीए द्वारा घोषित ऐसे श्रेणी निर्धारण के अनुरूप जोखिम स्प्रेड भारत सरकार की प्रतिभूति के परिपक्वता प्रतिफल में जोड़ा जानेवाला स्प्रेड होगा। यदि अधिमान शेयर जारी करनेवाली कंपनी के किसी अन्य लिखत का श्रेणी निर्धारण न किया गया हो और जो बकाया हो तो न्यूनतम निवेश ग्रेड वाले बांड अर्थात् 'बीबीबी' दर निर्धारित बांड पर लागू स्प्रेड से कम ऋण स्प्रेड भारत सरकार की प्रतिभूति के परिपक्वता प्रतिफल में जोड़ा जानेवाला स्प्रेड होगा।
- (ii) जहां अधिमान शेयर में निवेश पुनर्व्यवस्था के भाग के रूप में है वहां परिपक्वता प्रतिफल दर कूपन दर समान परिपक्वता वाले भारत सरकार के ऋण के लिए परिपक्वता प्रतिफल के ऊपर 1.5 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

ग) अधिमान शेयर का मूल्य निम्नलिखित सूत्र के अनुसार :

$(\text{अधिमान शेयर का अवधिपूर्णता प्रतिफल}) \times 100$

उपर्युक्त चरण (ख) में निकाली गयी दर

निम्नलिखित शर्तों के अधीन करें

(i) जहां अधिमान लाभांश बकाया हो वहां ऋण को प्रोद्भूत लाभांश के लिए नहीं लेना चाहिए (लंबित अवधि की गणना वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार की जानी चाहिए) और बकाया राशि यदि एक वर्ष के लिए हो तो परिपक्वता प्रतिफल पर निर्धारित मूल्य में कम-से-कम 15 प्रतिशत की दर पर बढ़ा किया जाना चाहिए और यदि बकाया राशि एक वर्ष से अधिक समय के लिए हो तो इससे अधिक बढ़ा दिया जाना चाहिए। जहां लाभांश बकाया है वहां अनर्जक शेयरों के संबंध में उपर्युक्त पद्धति के अनुसार मूल्यहास/ प्रावधान की अपेक्षा को आय देनेवाले अन्य अधिमान शेयरों पर मूल्यवृद्धि में से समंजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) जब किसी अधिमान शेयर का व्यापार मूल्यन की तारीख से 15 दिन पहले की अवधि में शेयर बाजार में किया गया हो, तो उसका मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए, जिस मूल्य पर व्यापार किया गया हो।

ख. अग्रिम के स्वरूप में अधिमान शेयर

अग्रिम के स्वरूप में अधिमान शेयर, पहले यथापरिभाषित (देखें उपर्युक्त पैरा 4.3.4 (ग)) का मूल्यन जारीकर्ता कंपनी के बकाया ऋण का आस्ति-वर्गीकरण कल्पित रूप में उन पर लागू करते हुए किया जाना चाहिए और तदनुसार अधिमान शेयर के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। उक्त ऋण यदि मानक श्रेणी में हो तो इन शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान मानक ऋण आस्तियों पर लागू मानदंडों के अनुसार करना होगा। यदि ऋण संदिग्ध श्रेणी में आते हों तो धारित अधिमान शेयरों को अप्रतिभूत सुविधा जैसा माना जाना चाहिए और उनके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए।

ऋण/डिबेंचरों को अग्रिम के रूप में परिवर्तित करके अर्जित किये गये अधिमान शेयरों को ऋण के समतुल्य देखा जा सकता है। ऐसे शेयरों पर लाभांश का भुगतान करना होगा। अतः ऐसे मामलों में जहां किसी ऐसी उधारकर्ता कंपनी जिसने ये शेयर जारी किये थे उस पर कोई भी ऋण बकाया नहीं है तो वसूली रिकार्ड के अनुसार उन अधिमान शेयरों का आस्ति वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए उन अधिमान शेयरों पर लाभांश प्राप्त संबंधी रिकार्ड देखना चाहिए। आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अधिमान शेयरों पर लाभांश भुगतान की नियत तारीख की गणना संबंधित कंपनी की वार्षिक लेखाबंदी की तारीख के समान की जाए।

तदनुसार, यदि जारीकर्ता कंपनी की वार्षिक लेखाबंदी तारीख से 90 दिन के भीतर अधिमान शेयरों पर लाभांश प्राप्त नहीं हुआ तो उन शेयरों को अनर्जक आस्तियों के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

ग. गैर परियोजना संबद्ध और प्रतिदेय अधिमान शेयर

ऐसे अधिमान शेयर जो 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंदर अवधिपूर्णता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखने के पात्र हैं, का मूल्यन अर्जन की लागत / परिशोधन की लागत पर किया जा सकता है बशर्ते स्थायी मूल्यहास समान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया हो - जिसके लिए लाभांश का भुगतान भी एक संगत घटक होगा।

5.6.8 **ईक्विटी शेयर**

क. अग्रिम के स्वरूप में ईक्विटी शेयर

अग्रिम के स्वरूप में ईक्विटी धारित राशि को अनिवार्यतः 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यदि ईक्विटी शेयर परियोजना वित्त के लिए प्रस्ताव के भाग के रूप में जारी किये गये हो तो वे ईक्विटी शेयर अग्रिम के स्वरूप के माने जाने चाहिए। ऐसे ईक्विटी शेयर का मूल्यांकन जारीकर्ता बैंक के बकाया ऋण का आस्ति वर्गीकरण कल्पित रूप में उन पर लागू करते हुए किया जाना चाहिए और तदनुसार ईक्विटी शेयर के मूल्य में मूल्यहास हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। उक्त ऋण यदि मानक श्रेणी में हो तो ईक्विटी मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान मानक ऋण आस्तियों पर लागू प्रावधानों के अनुसार करना होगा, परंतु यदि ऋण संदिग्ध श्रेणी में आते हों तो धारित ईक्विटी शेयरों को अप्रतिभूत सुविधा जैसा माना जाना चाहिए और उनके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए।

जहां शेयर जारीकर्ता कंपनी पर कोई भी ऋण बकाया न हो तो ऐसे मामले में अग्रिम के स्वरूप के ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यदि वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध और कोट किया गया हो, तो बाजार मूल्यांकन पर किया जाना चाहिए, बशर्ते मूल्यांकन के तारीख को अद्यतन बाजार भाव 30 दिन से पहले वाला न हो। ऐसे मामलों में बाजार कीमत एकल या अल्प मूल्य लेनदेन पर आधारित नहीं बल्कि संबंधों में दूरी वाले दो स्वतंत्र पक्षों के बीच पर्याप्त मात्रा में हुए लेनदेन में देखी गयी कीमत पर आधारित होनी चाहिए।

यदि ऐसे शेयर "अत्यल्प लेनदेन वाले शेयर" हो तो उनका मूल्यांकन वर्तमान मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए।

कोट न किये गये ईक्विटी शेयरों का या जहां चालू कोटेशन उपलब्ध नहीं है, मूल्यन कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र से निकाले गये "विश्लेषित मूल्य" (पुनर्मूल्यन आरक्षित राशि का विचार किये बिना) पर किया जाना चाहिए। यदि अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यांकन 1 रुपया प्रति कंपनी से किया जाना चाहिए।

ख. अग्रिम के स्वरूप में न रहनेवाले ईक्विटी शेयर

ईक्विटी शेयरों में अन्य निवेशों के संबंध में मूल्यांकन बाजार मूल्य के अनुसार किया जाए जो शेयर बाजार में होनेवाले लेनदेनों/कोट से उपलब्ध स्क्रिप के बाजार मूल्य होंगे। जिन स्क्रिपों के लिए चालू कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जहां शेयर बाजार में जो शेयर कोट न किये गये हो उनका मूल्यांकन कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र से निकाले जानेवाले विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित राशि का विचार किये बिना) पर किया जाना चाहिए। यदि अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यांकन 1 रुपया प्रति कंपनी से किया जाना चाहिए।

परिभाषाएं :

क) कोट किया गया ईक्विटी शेयर :

मूल्यांकन की तारीख को यदि अद्यतन बाजार कोटेशन उपलब्ध है और ईक्विटी शेयर 30 दिन से अधिक पुराना है तो उसे कोट न किया गया निवेश माना जाए और विश्लेषित मूल्य से मूल्यांकन किया जाए जैसे निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कोट किये गये ईक्विटी शेयरों के मूल्यांकन हेतु बाजार कीमत एकल या अल्पमूल्य लेनदेन पर आधारित नहीं बल्कि संबंधों में दूरी वाले दो स्वतंत्र पक्षों के बीच पर्याप्त मात्रा में हुए लेनदेन में देखी गयी कीमत पर आधारित होना चाहिए।

ख) अत्यल्प लेनदेन वाले शेयरों/ईक्विटी संबद्ध प्रतिभूतियों (जैसे परिवर्तनीय डिबेंचर, ईक्विटी वारंट आदि) की पहचान तथा मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा :

अत्यल्प लेनदेन वाले शेयर/ईक्विटी संबद्ध प्रतिभूतियां वे होंगी जिनका एक महीने का लेनदेन 5 लाख रुपये से कम है या कुल लेनदेन की मात्रा 50,000 शेयरों से कम है।

जहां संबंधित शेयर बाजार ऐसी प्रतिभूतियों की पहचान पूर्ववर्ती मानदंडों के अनुसार करता है और दैनिक कोटेशन के साथ पूर्ववर्ती कैलेंडर महीने की ऐसी जानकारी प्रकाशित/प्रदान करवा देता है वहां ऐसे अद्यतन कोटेशन का ऐसे शेयरों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करना चाहिए।

ईक्विटी को यदि ऐसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया हो जो ऐसी जानकारी नहीं देता हो तो क्या शेयर अत्यल्प लेनदेन वाला है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए वित्तीय संस्थाएं अपना विश्लेषण उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार कर सकती हैं। अगर ऐसा है तो अद्यतन उपलब्ध कोटेशन का मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाए।

"अद्यतन" तुलन पत्र की आयु :

जो कंपनियां 31 मार्च को छोड़कर दूसरी तारीख को अपने वार्षिक लेखे बंद करती हैं उनके संबंध में मूल्यांकन की तारीख को विश्लेषित मूल्य निर्धारित करने के लिए अद्यतन तुलन पत्र 21 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(जो कंपनियां 31 मार्च को छोड़कर दूसरी तारीख को अपने लेखे बंद करती हैं उनके मामले में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दर्शायी गयी परिचालन संबंधी समस्याओं को देखते हुए 12 महीने के बदले 21 महीने की अवधि शुरू की गयी।)

5.6.9 म्युच्युअल फंड यूनिट

कोट किए गए म्युच्युअल फंड यूनिटों में निवेशों का मूल्यन शेयर बाजार की दरों के अनुसार किया जाना चाहिए। 'कोट' न किए गए म्युच्युअल फंड के यूनिटों में निवेश का मूल्यन प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में म्युच्युअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाना चाहिए। यदि निधियों के लिए अवरुद्धता अवधि हो तो उस मामले में पुनर्खरीद मूल्य/बाजार दर उपलब्ध न होने पर यूनिटों का मूल्यन शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाना चाहिए। यदि शुद्ध आस्ति मूल्य उपलब्ध न हो तो इनका मूल्यन लागत पर तब तक किया जाना चाहिए जबतक कि अवरुद्धता अवधि समाप्त न हो जाए।

5.6.10 वाणिज्यिक पत्र

वाणिज्यिक पत्र का मूल्यन रखाव लागत (कैरिडिंग कॉस्ट) पर किया जाना चाहिए।

5.6.11 विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) में निवेश

यह पाया गया है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का जोखिम पूंजी निधियों में निवेश पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है। जबकि जोखिम पूंजी गतिविधियों का महत्व तथा वित्तीय संस्थाओं के जोखिम पूंजी निधियों के वित्तीयन में लिप्त होने की आवश्यकता को उचित मान्यता मिली है, ऐसे एक्सपोजर में निहित उच्चतर जोखिम पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने जोखिम पूंजी निधियों के वित्तीयन के संपूर्ण मामले की समीक्षा की तथा जोखिम पूंजी निधियों में वित्तीय संस्थाओं के एक्सपोजर को शासित करने वाली विवेकपूर्ण संरचना को संशोधित किया है। वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे जोखिम पूंजी निधियों के वित्तीयन के संबंध में अनुबंध V में निर्धारित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का पालन करें।

6. खातों को पुनर्चित करने के मामले में ईक्विटी तथा अन्य लिखतों में ऋण का परिवर्तन

अन्य लिखतों में परिवर्तित किये गये की बकाया राशि में साधारणतः मूलधन और ब्याज के घटकों का समावेश होगा। ब्याज की देय राशि को यदि ईक्विटी या अन्य लिखतों में परिवर्तित किया गया हो और इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण किया गया हो तो ऐसे आय निर्धारण के परिणाम को समायोजित करने हेतु ऐसी निर्धारित की गयी राशि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे प्रावधान निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार ईक्विटी तथा अन्य लिखतों के मूल्यों में मूल्यहास के लिए आवश्यक प्रावधान राशि के अलावा होंगे।

तथापि, ब्याज का परिवर्तन यदि ईक्विटी में हो, जो कोट की गयी हो, तो परिवर्तन की तारीख को ब्याज आय को बाजार मूल्य पर निर्धारित किया जा सकता है जो ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज राशि से अधिक न हो। ऐसी ईक्विटी इसके बाद "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में वर्गीकृत की जानी चाहिए और मूल्यांकन निम्न लागत या बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए।

अनर्जक आस्तियों के संबंध में मूल धन और/या ब्याज के डिबेंचरों में परिवर्तन के मामले में ऐसे डिबेंचरों को प्रारंभ से अनर्जक आस्तियों के रूप में उसी आस्ति वर्गीकरण में मानना चाहिए जो परिवर्तन के तुरंत पहले ऋण पर लागू था और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए। यह मानदंड जीरो कूपन बांड या अन्य लिखतों पर भी लागू होंगे जिससे जारीकर्ता की देयता आस्थगित होती है। ऐसे डिबेंचरों पर आय को केवल वसूली के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। वसूल न किये गये ब्याज के संबंध में आय, जो डिबेंचरों में या अन्य नियत परिपक्वता लिखत में परिवर्तित की गयी हो को ऐसे लिखत के प्रतिदान के बाद ही निर्धारित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त के अधीन ऋण के मूलधन के परिवर्तन से निर्माण होनेवाली ईक्विटी या अन्य लिखत सामान्य विवेकपूर्ण मूल्यन मानदंडों, जो ऐसे लिखतों पर लागू हैं, के भी अधीन होंगे।

7. ऐसे ब्याज दर डेरिवेटिव के माध्यम से निवेश की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग)

जिनकी खरीद बिक्री शयर बाजारों में होती है

- 7.1 जून 2003 में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय बाजार में जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) शुरू किए जाएँ जिनकी खरीद बिक्री शेयर बाजारों में होती है। प्रथम चरण में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने निर्णय लिया है कि, मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) में ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) में लेनदेन के लिए गुमनाम आदेश संचालित प्रणाली शुरू की जाए।
- 7.2 विनियमित संस्थाओं को ब्याज दर जोखिमों में उनके एक्सपोजर के प्रबंधन करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) को, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) और विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को ब्याज दर डेरिवेटिव में चरणबद्ध तरीके से लेनदेन करने की अनुमति दी जाए। पहले चरण में, ऐसी संस्थाएं अपने आधार निवेश संविभाग में जोखिम प्रतिरक्षा के सीमित प्रयोजन के लिए कल्पित बांडों और ट्रेजरी बिलों पर ब्याज दर के भावी सौदों (फ्यूचर्स) का लेनदेन कर सकती हैं। उत्पादों के व्यापक रेंज तथा मार्केट मेकिंग में लेनदेन की अनुमति पर प्राप्त अनुभव के आधार पर अगले चरण में विचार किया जाएगा।
- 7.3 जहां डेरिवेटिव तुलन पत्र में अंतर्निहित बाजार जोखिमों को कम करने के लिए बड़ा अवसर प्रदान करते हैं, वही उत्पाद के बारे में अपर्याप्त समझ, उचित निगरानी के अभाव, जोखिम नियंत्रण के कमजोर उपायों आदि के कारण इससे भारी हानि हो सकती है। ब्याज दर डेरिवेटिव में शेयर बाजार में लेनदेन करने के लिए इच्छुक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को अन्य बातों के साथ-साथ जिस उत्पाद का वे लेनदेन करेंगे, निवेश संविभाग का आकार /संरचना जिसकी प्रतिरक्षा करनी है, लेखा निगरानी, पुर्नसंतुलन, रिपोर्ट तथा ऐसे लेनदेनों की लेखा परीक्षा के लिए संघटनात्मक ढांचे के बारे में अपने बोर्ड का विशिष्ट अनुमोदन लेना चाहिए। इसके अलावा, यह अपेक्षित है कि ट्रेजरी के भीतर डेरिवेटिव डेस्क का निर्माण किया जाए और प्रबंधन स्तर की जिम्मेदारियों को स्पष्टतः आबंटित किया जाए।
- 7.4 शेयर बाजार के भावी सौदे और भविष्य के लिए विकल्प (एफ एंड ओ) खंड के संबंध में ब्याज दर डेरिवेटिव के लेनदेन के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे :
- i) **शेयर बाजार के विनियम :** ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा (हेजिंग) के लिए स्वामित्व वाले लेनदेन शुरू करने के सीमित प्रयोजन के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं शेयर बाजार के एफ एंड ओ खंड (सेगमेंट) की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। शेयर बाजार के एफ एंड ओ खंड में ट्रेडिंग संबंधी सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सदस्यता मानदंड को पूरा करना चाहिए और सेबी और संबंधित शेयर बाजारों (बीएसई / एनएसई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन करना चाहिए। जो शेयर बाजार की सदस्यता प्राप्त करना नहीं चाहते वे शेयर बाजार के अनुमोदित एफ एंड ओ सदस्यों के जरिए ब्याज दर डेरिवेटिव का लेनदेन कर सकते हैं।
- ii) **निपटान :**
- क) एफ एंड ओ खंड के ट्रेडिंग सदस्य होने के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को अपने डेरिवेटिव व्यापार का निपटान समाशोधन निगम/ समाशोधन गृह के साथ सीधे करना चाहिए।

ख) अनुमोदित एफ एंड ओ के सदस्यों के जरिए भाग लेनेवाली विनियमित संस्थाएं स्वामित्ववाले लेनदेन का निपटान भाग लेनेवाले समाशोधन सदस्य के रूप में करेंगी या अनुमोदित व्यावसायिक/अभिरक्षा संबंधी समाशोधन सदस्यों के जरिए करेंगी।

ग) ब्याज दर डेरीवेटिव लेनदेन के निपटान के लिए दलाल/शेयर बाजार के ट्रेडिंग सदस्यों का उपयोग नहीं किया जा सकता।

iii) **पात्र आधार प्रतिभूतियां** : फिलहाल, बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी के तहत वर्गीकृत सरकारी प्रतिभूतियों में निहित ब्याज दर जोखिम को ही प्रतिरक्षा की अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित संविभाग का भाग जिसकी प्रतिरक्षा करनी है उसकी पहचान करनी होगी और निगरानी के प्रयोजनों हेतु उसे रखना होगा।

iv) **प्रतिरक्षा के मानदंड** : एक्सचेंजों में शुरू किये गये ब्याज दर डेरीवेटिव लेनदेनों को प्रतिरक्षा लेनदेनों के रूप में केवल माना जाएगा यदि,

(क) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में निहित सरकारी प्रतिभूतियों के साथ प्रतिरक्षा की स्पष्ट रूप में पहचान की गयी हो।

(ख) प्रतिरक्षा की प्रभावशीलता को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

(ग) प्रतिरक्षा को सतत आधार पर आंका जाता हो और वह संपूर्ण अवधि में "अत्यधिक प्रभावी" हो।

v) **प्रतिरक्षा की प्रभावशीलता** : प्रतिरक्षा को "अत्यधिक प्रभावी" तब माना जाएगा यदि शुरू में और प्रतिरक्षा की संपूर्ण अवधि में प्रतिरक्षा करनेवाले लिखत के दैनिक बाजार मूल्य में परिवर्तनों से प्रतिरक्षा किये जाते समय के दैनिक बाजार मूल्य के संदर्भ में प्रतिरक्षित मर्दों के दैनिक बाजार मूल्य "करीब करीब पूर्णतः समायोजित" होते हैं और वास्तविक परिणाम 80 प्रतिशत से 125 प्रतिशत के दायरे में होते हैं। यदि दैनिक बाजार मूल्य में परिवर्तन 80 प्रतिशत - 125 प्रतिशत के दायरे के बाहर जाते हैं तो प्रतिरक्षा को अत्यधिक प्रभावी नहीं माना जाएगा।

फिलहाल, (क) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित निवेश तिमाही में या अधिक जल्दी-जल्दी अंतरालों में बाजार मूल्य पर (ख) ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में धारित निवेश को मासिक या अधिक जल्दी-जल्दी अंतरालों में बाजार मूल्य पर बही में अंकित किया जाएगा। बिक्री के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित संविभाग के प्रतिरक्षित भाग प्रतिरक्षित लेनदेन के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु कम-से-कम मासिक अंतराल पर अनुमानिक बाजार मूल्य पर बही में अंकित किया जाना चाहिए।

i) **लेखा पद्धति** : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) का लेखापद्धति मानक बोर्ड एक सर्वसमावेशक लेखापद्धति मानक विकसित करने जा रहा है जिसमें ट्रेडिंग तथा प्रतिरक्षण के लिए लेखापद्धति को शामिल करते हुए वित्तीय लिखतों के विविध प्रकारों को सम्मिलित किया जाएगा। तथापि, चूंकि इस मानक को बनाने में कुछ समय लगेगा इसलिए अंतरिम उपाय के रूप में संस्था ने ईक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एक गाइडन्स नोट ऑन एकाउंटिंग तैयार किया है। आइसीएआइ जब

तक व्यापक लेखापद्धति मानक तैयार करे तब तक अनुसूचित वाणिज्य बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं ब्याज दर वायदा सौदे के लेखाकरण के लिए भी उपर्युक्त दिशानिर्देशों का आवश्यक परिवर्तनों सहित पालन कर सकते हैं। तथापि, चूंकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को अपने आधार संविभाग, जो आवधिक बाज़ार दर पर मूल्यन के अधीन हैं, की प्रतिरक्षा करने की अनुमति दी जा रही है इसलिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे।

क) यदि प्रतिरक्षा "अत्यधिक प्रभावी" है तो लाभ-हानि लेखे के प्रयोजन हेतु प्रतिरक्षा करनेवाले लिखत और प्रतिरक्षित संविभाग से संबंधित लाभ तथा हानि की पूर्ति की जाए और निवल हानि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए और निवल लाभ को ध्यान में नहीं लेना चाहिए।

ख) यदि प्रतिरक्षा को "अत्यधिक प्रभावी" नहीं पाया गया तो कोई भी समंजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आधार प्रतिभूतियों का बाज़ार दर पर मूल्यन उनकी संबंधित निवेश श्रेणी पर लागू मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

ग) भावी सौदों में ट्रेडिंग स्थिति अनुमत नहीं है। तथापि, कोई एक प्रतिरक्षा अल्पकाल के लिए "अत्यधिक प्रभावी" नहीं के रूप में दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में संबंधित भावी सौदों की स्थिति को ट्रेडिंग स्थिति माना बाज़ार दर पर मूल्यन दैनिक आधार पर किसी संविभाग के जैसा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे अपनी प्रतिरक्षा प्रभावशीलता को शीघ्रातिशीघ्र पुनः स्थापित करें।

घ) भावी संविदाओं के समापन/निपटान से प्राप्त लाभ को लाभ-हानि लेखे में नहीं लिया जा सकता परंतु "अन्य देयता" के रूप में आगे ले जाया जा सकता है और निवेश संविभाग से संबंधित मूल्यहास प्रावधान के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- ii) **पूँजी पर्याप्तता** : समान आधार तथा निपटान की तारीखों वाले भावी वायदों की स्थिति के संबंध में निवल अनुमानित मूलधन राशि को निम्नलिखित परिवर्तन कारक से, ऋण समकक्ष निकालने के लिए, गुणा किया जाना चाहिए :

मूल अवधिपूर्णता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	0.5 प्रतिशत
एक वर्ष तथा दो वर्ष से कम	1.0 प्रतिशत
हर अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0 प्रतिशत

इस प्रकार निकाले गये ऋण समकक्ष को 100 प्रतिशत वाले लागू जोखिम भार से गुणा किया जाएगा।

- iii) **आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) वर्गीकरण** : ब्याज दर भावी सौदों को अनुमानित सरकारी प्रतिभूति में लॉग और शॉर्ट पोजिशन के लिए मिले जुले रूप में माना जाता है। आधार लिखत की आयु की तरह भावी सौदे की अवधिपूर्णता सुपुर्दगी तक की या संविदा के प्रयोग तक की अवधि होगी। उदाहरणार्थ, 50 करोड़ रुपये के लिए ब्याज दर भावी सौदे की शॉर्ट पोजिशन (6 महीने के बाद सुपुर्दगी तारीख,

आनुमानिक आधार पर सरकारी प्रतिभूति की आयु 3 1/2 वर्ष) को 3 से 6 महीने के बकेट के तहत जोखिम के प्रति संवेदनशील आस्ति के रूप में और चार वर्ष में जोखिम के प्रति संवेदनशील देयता के रूप में अर्थात् 3 से 5 वर्ष के बकेट के तहत, रिपोर्ट करना होगा।

- iv) **ब्रोकरों का उपयोग:** प्रत्येक स्वीकृत ब्रोकर के लिए कुल उ९परी संविदा सीमा के रूप में एक वर्ष के दौरान कुल लेनदेन के 5 प्रतिशत के वर्तमान मानदंड का अनुपालन उन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए जो शेयर बाजारों के स्वीकृत एफ एंड ओ सदस्यों के जरिए भाग लेते हैं।
- v) **प्रकटन :** शेयर बाजार में ब्याज दर डेरीवेटिव्स प्रारंभ करनेवाली विनियमित संस्थाएं तुलन पत्र में लेखों पर टिप्पणियों के भाग के रूप में निम्नलिखित ब्यौरे प्रकट करें :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	ब्यौरे	राशि
1.	वर्ष के दौरान प्रारंभ किये गये शेयर एक्सचेंज में लेनदेन किये जानेवाले ब्याज दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	
2.	31 मार्च को बकाया शेयर एक्सचेंज में लेनदेन किये जानेवाले ब्याज दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	
3.	बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं शेयर एक्सचेंज में लेनदेन किये जानेवाले ब्याज दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	
4.	बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं शेयर एक्सचेंज में लेनदेन किये जानेवाले ब्याज दर डेरीवेटिव्स बाजार मूल्य (लिखत-वार) क) ख) ग)	

- VI) **रिपोर्टिंग:** बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को क्रमशः बैंपर्यवि या बैंपर्यवि (एफआइएमडी) को निम्नलिखित फार्मेट के अनुसार एक मासिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

शेयर एक्सचेंज में लेनदेन किये जानेवाले ब्याज दर डेरीवेटिव के भावी सौदों संबंधी मासिक विवरणी

बैंक/विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था का नाम :

महीने के अंतिम कार्य दिवस को :

I. बकाया भावी सौदों का विश्लेषण :

बही में बकाया भावी सौदों की संविदा की निपटान तारीख	भावी संविदा के आधार ब्याज दर जोखिम	बही में बकाया संविदाओं की संख्या	भावी सौदों की संविदाओं की आरंभिक ब्याज स्थिति
--	------------------------------------	----------------------------------	---

II. महीने के दौरान गतिविधि :

महीने के प्रारंभ में बकाया भावी सौदों की संविदाओं की आनुमानिक मूलधन राशि (एनपीए*) (निपटान की तारीख/ आधार ब्याज दर जोखिम वार ब्योरा)	महीने के दौरान प्रविष्ट आनुमानिक मूलधन राशि(एनपीए*) (निपटान की तारीख/ आधार ब्याज दर जोखिम-वार ब्योरा)	महीने के दौरान रद्द किये गये भावी सौदों की संविदाओं की आनुमानिक मूलधन राशि (एनपीए*) (निपटान की तारीख / आधार ब्याज दर जोखिम-वार ब्योरा)	महीने के अंत में बकाया आनुमानिक मूलधन राशि (एनपीए*) (निपटान की तारीख/ आधार ब्याज दर जोखिम-वार ब्योरा)
---	---	--	---

III. "अत्यधिक प्रभावी" प्रतिरक्षा का विश्लेषण :

प्रतिरक्षा किये जा रहे आधार निवेश संविभाग का आकार	प्रतिरक्षा के आरंभ से आधार प्रतिरक्षा संविभाग के बाजार मूल्य(एमटीएम)*** में परिवर्तन	प्रतिरक्षा के आरंभ से भावी सौदों की स्थिति बाजार मूल्य (एमटीएम)*** में परिवर्तन	प्रतिरक्षा किये जा रहे आधार निवेश संविभाग के आधार बिंदु का कीमत मूल्य (पीवी01)**	भावी सौदों की स्थिति की प्रतिरक्षा के आधार बिंदु का कीमत मूल्य (पीवी01)**
---	--	---	--	---

IV. "अत्यधिक प्रभावी" नहीं प्रतिरक्षा का विश्लेषण :

आधार निवेश संविभाग का आकार जिसकी प्रतिरक्षा करने का इरादा है	प्रतिरक्षा के आरंभ से आधार प्रतिरक्षा संविभाग के बाजार मूल्य(एमटीएम)*** में परिवर्तन	प्रतिरक्षा के आरंभ से भावी सौदों की स्थिति बाजार मूल्य (एमटीएम)*** में परिवर्तन	ऐसी अवधि जब प्रतिरक्षा प्रभावहीन थी	टिप्पणी : प्रतिरक्षा की प्रभावशीलता पुनः स्थापित करने के लिए कार्रवाई यदि कोई हो
--	--	---	-------------------------------------	--

* एनपीए - आनुमानिक मूलधन राशि ** पीवी 01 - आधार अंक का कीमत मूल्य

*** एमटीएम - बाजार दर पर मूल्यन (मार्कट टू मार्केट)

8. रिपो लेखांकन

बाज़ार सहभागी निवेश की तीन श्रेणियों अर्थात् खरीद-बिक्री के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध तथा अवधिपूर्णता तक धारित में से किसी एक से रिपो ले सकते हैं। विद्यमान कानून के अंतर्गत रिपो का विधिक रूप, अर्थात् एकमुश्त खरीद तथा एकमुश्त बिक्री लेनदेन, यह सुनिश्चित करके अबाधित रखा जाएगा कि रिपो (बेचनेवाली कंपनी को 'विक्रेता' कहा गया है) के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के क्रेता के निवेश खाते में शामिल नहीं किया जाता है तथा रिवर्स रिपो (खरीदने वाली कंपनी को क्रेता कहा गया है) के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के खरीदार के निवेश खाते में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही, खरीदार रिपो की अवधि के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए रिवर्स रिपो लेनदेन के अंतर्गत अर्जित अनुमोदितप्रतिभूतियों को ध्यान में ले सकता है।

वर्तमान में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जिनमें राजकोषीय बिल शामिल हैं तथा दिनांकित राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेन की अनुमति है। चूंकि प्रतिभूतियों का खरीदार उन्हें उनकी अवधिपूर्णता तक धारित नहीं करेगा, इसलिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियों की परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाए। रिपो पहला चरण प्रचलित बाज़ार दरों पर संविदाकृत किया जाए। इसके अलावा, रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन में प्राप्त / भुगतान किया गया उपचित ब्याज तथा शुद्ध मूल्य (अर्थात् कुल नकद प्रतिफल में से उपचित ब्याज को घटाकर) का अलग तथा सुस्पष्ट हिसाब दिया जाए।

रिपो/रिवर्स रिपो का हिसाब लगाते समय निम्नलिखित अन्य लेखा सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा :

8.1 कूपन

यदि रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति के ब्याज के भुगतान की तारीख रिपो अवधि के दौरान आती है तो प्रतिभूति के खरीदार द्वारा प्राप्त कूपनों को प्राप्त करने की तारीख को विक्रेता को प्रदान किया जाए क्योंकि दूसरे चरण में विक्रेता द्वारा देय नकद प्रतिफल में कोई मध्यवर्ती नकदी प्रवाह शामिल नहीं है। जहां रिपो की अवधि के दौरान क्रेता कूपन बुक करेगा, वहां विक्रेता रिपो की अवधि के दौरान कूपन का उपचय नहीं करेगा। राजकोषीय बिलों जैसे बड़ाकृत लिखतों के मामले में चूंकि कोई कूपन नहीं है, विक्रेता रिपो की अवधि के दौरान मूल बड़ा दर पर बड़ा उपचित करना जारी रखेगा। अतएव रिपो की अवधि के दौरान खरीदार बड़ा उपचित नहीं करेगा।

8.2 रिपो ब्याज आय /व्यय

रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेन के दूसरे चरण के बाद

(क) पहले चरण तथा दूसरे चरण के बीच प्रतिभूति के स्पष्ट मूल्य में अंतर को क्रेता /विक्रेता की बहियों में क्रमशः

रिपो ब्याज आय /व्यय के रूप में गिना जाए;

ख) लेनदेन के दो चरणों के बीच भुगतान किए गए उपचित ब्याज के बीच के अंतर को रिपो ब्याज आय / व्यय खाता, जैसी स्थिति हो, के रूप में दर्शाया जाए; तथा

(ग) रिपो ब्याज आय /व्यय खाते में बकाया शेष को लाभ तथा हानि खाते में आय अथवा व्यय के रूप में अंतरित किया जाए।

जहां तक तुलन पत्र की तारीख को बकाया रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों का संबंध है, केवल तुलनपत्र-तारीख तक उपचित आय /व्यय को लाभ-हानि लेखे में लिया जाए। बकाया लेनदेनों के संबंध में अनुवर्ती अवधि के लिए कोई भी रिपो आय/व्यय को अगली लेखा अवधि के लिए ध्यान में लिया जाए ।

8.3 बाज़ार दर पर मूल्यांकन करना

क्रेता रिवर्स रिपो लेनदेन के अंतर्गत अजिन्त प्रतिभूतियों का बाज़ार दर पर मूल्यांकन, प्रतिभूति के निवेश वर्गीकरण के अनुसार किया जाये। उदाहरण के लिए, वित्तीय संस्थाओं के लिए यदि रिवर्स रिपो लेनदेनों के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वगीकृत किया गया है तो ऐसी प्रतिभूतियों का बाज़ार दर पर मूल्यांकन कम-से-कम तिमाही में एक बार किया जाना चाहिए उन कंपनियों के लिए जो किसी निवेश वर्गीकरण के मानदंडों का अनुपालन नहीं करती हैं, रिवर्स रिपो लेनदेनों के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उसी प्रकार की प्रतिभूतियों के संबंध में उनके द्वारा अनुपालन किये जाने वाले मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाए।

तुलन पत्र की तारीख को बकाया रिपो लेनदेन के संबंध में

- (क) क्रेता तुलनपत्र की तारीख को प्रतिभूतियों का बाज़ार दर पर मूल्यांकन करेगा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों द्वारा जारी किए गए विद्यमान मूल्यांकन दिशा-निर्देशों में निर्धारित किये गये अनुसार उनका लेखा-जोखा रखेगा ।
- (ख) रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति का बिक्री मूल्य यदि बही मूल्य से कम है तो विक्रेता लाभ हानि लेखे में मूल्य में अंतर के लिए प्रावधान करेगा तथा इस अंतर को तुलन पत्र में 'अन्य आस्तियां' के अंतर्गत दर्शाएगा ।
- (ग) रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति का बिक्री मूल्य यदि बही मूल्य से अधिक है तो विक्रेता लाभ हानि लेखे के प्रयोजन से मूल्य में अंतर को ध्यान में नहीं लेगा लेकिन तुलन पत्र में इस अंतर को 'अन्य देयताएं' के अंतर्गत दर्शाएगा; तथा
- (घ) उसी प्रकार तुलनपत्र की तारीखों को बकाया रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेनों में भुगतान/ प्राप्त किया गया उपचित ब्याज तुलन पत्र में 'अन्य आस्तियां' अथवा 'अन्य देयताएं' के रूप में दर्शाया जाए ।

8.4 पुनः खरीद पर बही मूल्य

दूसरे चरण में प्रतिभूतियों को पुनः खरीदने पर विक्रेता रिपो खाते में मूल बही मूल्य (पहले चरण की तारीख को बहियों में विद्यमान मूल्य के अनुसार) को नामे डालेगा ।

8.5 प्रकटीकरण

तुलन पत्र में संलग्न 'लेखे पर टिप्पणियां' में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाने चाहिए ।

(करोड़ रुपये में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च को बकाया
रिपो के अंतर्गत बिक्री की गयी प्रतिभूतियां				
रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गयी प्रतिभूतियां				

8.6 लेखा पद्धति

जिन लेखा पद्धतियों का अनुपालन करना है उन्हें नीचे दिया गया है तथा अनुबंध III और IV में उदाहरण दिए गए हैं। जहां विभिन्न लेखा प्रणालियों को उपयोग करने वाले बाज़ार सहभागी उदाहरण में उपयोग में लाए गए लेखा शीर्षों से अलग शीर्षों का उपयोग कर सकते हैं वहां ऊपर प्रस्तावित लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही, रिपो लेनदेनों से उठने वाले विवादों को दूर करने के लिए सहभागी, फिमडा द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रलेखन के अनुसार द्विपक्षीय मास्टर रिपो समझौता करने पर विचार करें।

अनुबंध- I

दि.01.07.14 के परिपत्र बँपविवि.सं.एफआईडी.एफआईसी.3/01.02.00/2014-15 का

(देखें पैरा 2.3.3.4)

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतियोगी बोली लगाने की सुविधा के लिए योजना

I. विषय क्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक सहभागिता और फुटकर धारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामी में "गैर-प्रतियोगी" आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक गैर-प्रतियोगी बोलियां स्वीकार की जायेंगी। आरक्षित राशि अधिसूचित राशि के भीतर होगी।

II. पात्रता: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में उन निवेशकों के लिए गैर-प्रतियोगी आधार पर भाग लेना खुला रहेगा जो निम्नलिखित की पूर्ति करते हों :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक में चालू खाता या सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते।

अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) को उनकी विधिक बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

2. प्रति नीलामी एक करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं।

3. यह योजना उपलब्ध करनेवाले किसी बैंक या प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के जरिए अपनी बोलीपरोक्ष रूप में प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, गैर प्रतियोगी बोलियां प्रत्यक्षतः प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

III. व्याप्ति : "फर्म, कंपनियों, कॉर्पोरेट निकायों, भविष्य निधियों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य संस्थाओं सहित किसी भी संस्था के लिए उपर्युक्त शर्तों के अधीन "गैर-प्रतियोगी" आधार पर सहभागिता खुली है। बोली के लिए न्यूनतम राशि रु.10,000/- (अंकित मूल्य) होगी और उसके बाद रु.10,000/- के गुणजों में होगी जैसा कि अब तक दिनांकित स्टार्कों के लिए लागू है।

IV. अन्य परिचालनगत दिशानिर्देश :

1. फुटकर निवेशक के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह जिस बैंक या प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के जरिए भाग लेना चाहता है उसके पास सीएसजीएल खाता रखें। तथापि, योजना के तहत कोई एक निवेशक एक ही बोली लगा सकता है। इस संबंध में वचन लिया जाना चाहिए कि निवेशक एक ही बोली लगायेगा और बैंक या प्राथमिक व्यापारी इसे रिकार्ड में रखेंगे।

2. पक्के आदेश के आधार पर प्रत्येक बैंक या प्राथमिक व्यापारी (पीडी) नीलामी के दिन कुल राशि के लिए एकल ग्राहक बोली प्रस्तुत करें। अलग-अलग ग्राहकों के ब्योरे अर्थात् नाम, राशि आदि बोली के संलग्नक के अनुसार दिये जाएंगे।

3. बैंक या प्राथमिक व्यापारी को गैर-प्रतियोगी खंड के तहत आबंटन उस प्रतिफल (यील्ड)/कीमत की भारित औसत दर से होगा जो प्रतियोगी बोली के आधार पर नीलामी से उत्पन्न होगी। बैंकों या प्राथमिक व्यापारियों को निर्गम की तारीख को भुगतान किये जाने पर प्रतिभूतियां जारी कि जायेंगी, भले ही, बैंक या प्राथमिक व्यापारी को उनके ग्राहकों से भुगतान प्राप्त हुआ या नहीं।
 4. यदि बोली की कुल राशि आरक्षित राशि (अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत) से अधिक है तो समानुपातिक आधार पर आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटन के मामले में यह बैंक या प्राथमिक व्यापारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से प्रतिभूतियों का आबंटन करे।
 5. यदि बोली की कुल राशि आरक्षित राशि से कम है तो उस कमी को प्रतियोगी भाग में लिया जाएगा।
 6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूति केवल एसजीएल के रूप में जारी की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक या प्राथमिक व्यापारी (पीडी) द्वारा दर्शाये अनुसार मुख्य एसजीएल खाते में या सीएसजीएल खाते में जमा करेगा। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा केवल एक ही प्रयोजन से दी जाती है कि जो निवेशक उनके घटक नहीं हैं उन्हें सेवा दी जाए। इसलिए गैर-प्रतियोगी बोलियां प्रस्तुत करते समय बैंक या प्राथमिक व्यापारी को उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा की जानेवाली राशि (अंकित मूल्य) स्पष्ट रूप में दर्शानी होगी। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से भौतिक रूप में सुपुर्दगी की अनुमति है।
 7. प्रतिभूतियां अपने ग्राहकों के पहुंचाने की जिम्मेदारी बैंक या प्राथमिक व्यापारी की होगी। असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियां अंतरित करने का काम जारी करने की तारीख से पांच कार्य दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
 8. बैंक या प्राथमिक व्यापारी अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए 6 पैसे प्रति 100 रुपये तक ब्रोकरेज/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी लागत बिक्री मूल्य में अंतर्निहित की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है। यदि प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति जारी करने की तारीख के बाद किया गया हो तो बैंक या प्राथमिक व्यापारी को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में जारी करने की तारीख से उपचित ब्याज शामिल किया जाएगा।
 9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, और ब्रोकरेज/कमीशन/सेवा प्रभार के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने हेतु तरीका ग्राहकों के साथ समझौते के अनुसार बैंक या प्राथमिक व्यापारी द्वारा तैयार किया जाए। यह नोट किया जाए कि कोई भी दूसरी अन्य लागत जैसे निधीकरण लागत, कीमत में अंतर्निहित न हो या ग्राहक से वसूल न की जाए।
- V. बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को इस योजना के तहत कार्यकलापों के संबंध में जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) को समय-समय पर की गयी मांग के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रेषित करनी होगी।
- VI. पूर्वोक्त दिशा-निर्देश बैंक की समीक्षा के अधीन हैं और तदनुसार यदि जब कभी आवश्यक समझा जाएगा इस योजना को संशोधित किया जाएगा।

अनुबंध-II

दि.01.07.14 के परिपत्र बेंपवि.सं.एफआईडी.एफआईसी.3/01.02.00/2014-15 का

(देखें पैरा 2.5.9)

प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में "लेखे पर टिप्पणियाँ" में प्रकटीकरण का फॉर्मेट**क. किए गए निवेशों के संबंध में जारीकर्ता-श्रेणियां (तुलनपत्र की तारीख को)**

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. स	जारीकर्ता	राशि	राशि को			
			निजी तौर पर शेयर आबंटन के माध्यम से किए गए निवेश	"निवेश ग्रेड से कम" पर धारित प्रतिभूतियां	धारित प्रतिभूतियां जिनका श्रेणीकरण न किया गया हो	गैर - सूची बद्ध प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पीएसयू					
2.	वित्तीय संस्थाएं					
3.	बैंक					
4.	निजी कंपनियां					
5.	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम					
6.	अन्य					
7.	# मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान					
	कुल*					

* टिप्पणियां :

1. स्तंभ 3 का जोड़ तुलनपत्र पत्र में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों के जोड़ से मिलना चाहिए :

- क. शेयर
ख. डिबेंचर तथा बाण्ड
ग. सहायक कंपनियां /संयुक्त उद्यम
घ. अन्य

2. संभव है स्तंभ 4,5,6 तथा 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गयी राशियां परस्पर रूप से अनन्य नहीं होंगी ।

ख. अनर्जक निवेश

ब्योरे	राशि (करोड़ रुपये में)
आरंभिक शेष	
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान शामिल	
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	
अंतिम शेष	
धारित कुल प्रावधान	

अनुबंध-III

दि.01.07.14 के परिपत्र बैंपविवि.सं.एफआईडी.एफआईसी.3/01.02.00/2014-15 का

(देखें पैरा 8.6)

रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेनों के समान लेखांकन के लिए संस्तुत लेखा पद्धति

- क. निम्नलिखित खाते खोले जा सकते हैं अर्थात् : i) रिपो खाता, ii) रिपो मूल्य समायोजन खाता, iii) रिपो ब्याज समायोजन खाता, iv) रिपो ब्याज व्यय खाता, v) रिपो ब्याज आय खाता, vi) रिवर्स रिपो खाता, vii) रिवर्स रिपो मूल्य समायोजन खाता तथा viii) रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाता ।
- ख. रिपो के अंतर्गत बेची /खरीदी गयी प्रतिभूतियों को पूर्ण बिक्री/खरीद के रूप में हिसाब में लिया जाए ।
- ग. प्रतिभूतियां बहियों में एक ही बही मूल्य पर प्रवेश तथा निकास करेंगी। परिचालनगत सुविधा के लिए भारित औसत लागत पद्धति जिसमें निवेशों को उनकी भारित औसत लागत पर बहियों में लिया जाता है को अपनाया जाए ।

रिपो

- घ. रिपो लेनदेन के पहले चरण में प्रतिभूतियों को बाज़ार संबंधित मूल्यों पर बेचा जाए तथा दूसरे चरण में व्युत्पन्न मूल्य पर पुनः खरीदा जाए । बिक्री तथा पुनः खरीद को रिपो खाते में दर्शाया जाए।
- ङ. तुलनपत्र प्रयोजन से रिपो खाते में शेषों को वित्तीय संस्था के निवेश खाते से घटाया जाए।
- च. रिपो के पहले चरण में बाजार मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को रिपो मूल्य समायोजन खाते में दर्ज किया जाए । उसी प्रकार रिपो के दूसरे चरण में व्युत्पन्न मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को रिपो मूल्य समायोजन खाते में दर्ज किया जाए ।

रिवर्स रिपो

- छ. रिवर्स रिपो लेनदेन में पहले चरण में प्रतिभूतियों को प्रचलित बाज़ार मूल्य पर खरीदा जाए तथा दूसरे चरण में व्युत्पन्न मूल्य पर बेचा जाए। खरीद तथा बिक्री को रिवर्स रिपो खाते में हिसाब में लिया जाए ।
- ज. रिवर्स रिपो लेनदेनों के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियां यदि अनुमोदित प्रतिभूतियां हों तो रिवर्स रिपो खाते में शेष, तुलनपत्र प्रयोजनों से निवेश खाते का हिस्सा होंगे तथा उन्हें सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनों से ध्यान में लिए जा सकता हैं (केवल बैंकों के लिए)
- झ. रिवर्स रिपो में खरीदी गयी प्रतिभूति बहियों में बाज़ार मूल्य (खंडित अवधि ब्याज को छोड़कर) पर प्रवेश करेगी । रिवर्स रिपो के दूसरे चरण में व्युत्पन्न मूल्य तथा बही मूल्य के बीच के अंतर को रिवर्स रिपो मूल्य समायोजन खाते में दर्ज किया जाए ।

रिपो /रिवर्स से संबंधित अन्य पहलू

- ञ. यदि रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति के ब्याज के भुगतान की तारीख रिपो अवधि में आती है तो क्रेता ने प्राप्त किये हुए कूपनों को प्राप्त की तारीख को विक्रेता को दिया जाए क्योंकि दूसरे चरण में विक्रेता द्वारा देय नकद प्रतिफल में कोई मध्यवर्ती नकद प्रवाह शामिल नहीं हैं ।
- ट. रिपो /रिवर्स रिपो मूल्य समायोजन खाते में पहले तथा दूसरे चरणों में दर्ज राशियों के बीच की अंतर राशि को जैसी स्थिति हो रिपो ब्याज व्यय खाते अथवा रिपो ब्याज आय खाते में अंतरित किया जाए।

- ठ. पहले तथा दूसरे चरणों में उपचित खंडित अवधि ब्याज को जैसी स्थिति हो रिपो ब्याज समायोजन खाते अथवा रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाते में दर्ज किया जाएगा। अतः पहले तथा दूसरे चरणों में इस खाते में दर्ज की गयी राशियों के बीच की अंतर राशि को जैसी स्थिति हो रिपो ब्याज व्यय खाते अथवा रिपो ब्याज आय खाते में अंतरित किया जाए।
- ड. बकाया रिपोज के लिए लेखा अवधि के अंत में रिपो/रिवर्स रिपो मूल्य समायोजन खाते तथा रिपो/रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाते में शेषों को जैसी स्थिति हो या तो तुलनपत्र में अनुसूची 11 - 'अन्य आस्तियां' के अंतर्गत मद VI - 'अन्य' के अंतर्गत अथवा अनुसूची 5 - 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' के अंतर्गत मद IV, 'अन्य (प्रावधानों सहित)' में दर्शाया जाना चाहिए। (वित्तीय संस्थाएं इन शेषों को अपने तुलनपत्र में तदनु रूप लेखा शीर्षों में दर्शाएं।)
- ढ. चूंकि लेखा अवधि के अंत में रिपो मूल्य समायोजन खाते में नामे शेष, बकाया रिपो लेनदेनों में प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में प्रावधान न की गयी हानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसके लिए लाभ तथा हानि खाते में प्रावधान करना आवश्यक होगा।
- ण. लेखा अवधि के अंत में बकाया रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के संबंध में ब्याज के उपचय को दर्शाने के लिए क्रेता/विक्रेता की बहियों में क्रमशः रिपो ब्याज आय/व्यय को दर्शाने के लिए लाभ तथा हानि खाते में उचित प्रविष्टियां पारित की जाए तथा उसी को उपचित किंतु अप्राप्य आय/व्यय के रूप में नामे डाला/ जमा किया जाए। इस तरह से पारित प्रविष्टियों की अगली लेखा अवधि के पहले कार्य दिन को प्रति प्रविष्टि की जानी चाहिए।
- त. ब्याज सहित (कूपन) लिखतों में रिपो के संबंध में क्रेता रिपो की अवधि के दौरान ब्याज उपचित करेगा। डिस्काउंट लिखत जैसे राजकोषीय बिल में रिपो के संबंध में विक्रेता रिपो की अवधि के दौरान अर्जन के समय पर मूल प्रतिफल के आधार पर डिस्काउंट उपचित करेगा।
- थ. लेखा अवधि के अंत में रिपो ब्याज समायोजन खाते तथा रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाते में नामे शेषों (अब तक बकाया रिपो के शेषों को छोड़कर) को रिपो ब्याज व्यय खाते में अंतरित किया जाए तथा रिपो ब्याज समायोजन खाते तथा रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाते में जमा शेषों (अब तक बकाया रिपो के शेषों को छोड़कर) को रिपो ब्याज आय खाते में अंतरित किया जाए।
- द. इसी प्रकार, लेखा अवधि के अंत में रिपो/रिवर्स रिपो मूल्य समायोजन खाते में नामे शेषों (अब तक बकाया रिपो के शेषों को छोड़कर) को रिपो ब्याज व्यय खाते में अंतरित किया जाए तथा रिपो /रिवर्स रिपो मूल्य समायोजन खाते में जमा शेषों (अब तक बकाया रिपो के शेषों को छोड़कर) को रिपो ब्याज आय खाते में अंतरित किया जाए।
- ध. निदर्शी उदाहरण अनुबंध IV में दिया गया है।

अनुबंध- IV

दि.01.07.14 के परिपत्र बेंपविवि.सं.एफआईडी.एफआईसी.3/01.02.00/2014-15 का

(देखें पैरा 8.6)

रिपो तथा रिवर्स रिपो लेनदेन के समान लेखांकन के लिए निदर्शी उदाहरण

क. कूपन धारित प्रतिभूति के संबंध में रिपो / रिवर्स रिपो

1. कूपन धारित प्रतिभूति में रिपो के संबंध में ब्योरा :

रिपो के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिभूति	11.43% 2015	
कूपन अदायगी की तारीख	7 अगस्त और 7 फरवरी	
रिपो के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिभूति की बाज़ार कीमत (पहले चरण में प्रतिभूति की कीमत)	₹. 113.00	(1)
रिपो की तारीख	19 जनवरी, 2003	
रिपो ब्याज दर	7.75%	
रिपो की अवधि	3 दिन	
पहले चरण के लिए खंडित अवधि का ब्याज*	$11.43\% \times 162/360 \times 100 = 5.1435$	(2)
पहले चरण के लिए नकदी प्रतिफल	(1) + (2) = 118.1435	(3)
रिपो ब्याज **	$118.1435 \times 3/365 \times 7.75\% = 0.0753$	(4)
दूसरे चरण के लिए खंडित अवधि का ब्याज	$11.43\% \times 165/360 \times 100 = 5.2388$	(5)
दूसरे चरण हेतु कीमत	(3)+(4) -(5) = 118.1435 + 0.0753 - 5.2388 = 112.98	(6)
दूसरे चरण के लिए नकदी प्रतिफल	(5)+(6) = 112.98 + 5.2388 = 118.2188	(7)
* 30/360 दिवस गणना पद्धति के आधार पर दिनों की गणना करना		
** वास्तविक / 365 दिवस गणना पद्धति के आधार पर दिनों की गणना करना जो मुद्रा बाज़ार लिखतों के लिए लागू है।		

2. **प्रतिभूति विक्रेता के लिए लेखांकन**

हम मानते हैं कि विक्रेता ने 120.0000 रुपये की अंकित मूल्य पर प्रतिभूति धारण की थी।

पहले चरण का लेखांकन

	नामे	जमा
नकदी रिपो खाता	118.1435	120.0000 (बही मूल्य)
रिपो मूल्य समायोजन खाता	7.0000 (बही मूल्य और रिपो मूल्य के बीच अंतर)	
रिपो ब्याज समायोजन खाता		5.1435

दूसरे चरण का लेखांकन

	नामे	जमा
रिपो खाता	120.0000	7.02
रिपो मूल्य समायोजन खाता		(बही मूल्य तथा दूसरे चरण के मूल्य का अंतर)
रिपो ब्याज समायोजन खाता	5.2388	118.2188
नकदी खाता		

रिपो के दूसरे चरण के लेनदेन के अंत की रिपो मूल्य समायोजन खाते और ब्याज समायोजन खाते की शेष राशि रिपो ब्याज व्यय खाते में अंतरित की जाती है। इन खातों की शेष राशियों के विश्लेषण हेतु खाता बही की प्रविष्टियां, नीचे दी गयी है :

रिपो मूल्य समायोजन खाता

नामे	जमा
पहले चरण के मूल्य में अंतर	7.00
रिपो ब्याज व्यय खाते में आगे लाया गया शेष	0.02
कुल	7.02

रिपो ब्याज समायोजन खाता

नामे	जमा
दूसरे चरण के लिए खंडित अवधि ब्याज	5.2388
	पहले चरण के लिए खंडित अवधि का ब्याज
	रिपो ब्याज व्यय खाते में आगे लाया गया शेष
कुल	5.2388

रिपो ब्याज व्यय खाता

नामे	जमा
रिपो ब्याज समायोजन खाते का शेष	0.0953
	रिपो मूल्य समायोजन खाते का शेष
	लाभ-हानि लेखे में आगे लाया गया शेष
कुल	0.0953

3. प्रतिभूति क्रेता के लिए लेखांकन

जब प्रतिभूति की खरीद होती है तब उसके साथ बही मूल्य भी आता है। अतः बाजार मूल्य प्रतिभूति का बही मूल्य होता है।

प्रथम चरण का लेखांकन

	नामे	जमा
रिवर्स रिपो खाता	113.0000	
रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाता	5.1435	
नकदी खाता		118.1435

दूसरे चरण का लेखांकन

	नामे	जमा
नकदी खाता	118.2188	
रिवर्स रिपो मूल्य ब्याज समायोजन खाता (प्रथम और दूसरे चरण के मूल्यों के बीच का अंतर)	0.0200	
रिवर्स रिपो खाता		113.0000
रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाता		5.2388

इन खातों के रिवर्स रिपो के दूसरे चरण के अंत की रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाते और रिवर्स रिपो मूल्य समायोजन खाते की शेष राशि रिपो ब्याज आय खाते में अंतरित की जाती है। इन दो खातों की शेष राशियों के विश्लेषण हेतु खाता बही की प्रविष्टियां नीचे दी गयी हैं :

रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाता

नामे		जमा	
पहले चरण के लिए खंडित अवधि ब्याज	5.1435	दूसरे चरण के लिए खंडित अवधि ब्याज	5.2388
रिपो ब्याज आय खाते में आगे लाया गया शेष	0.0953		
कुल	5.2388	कुल	5.2388

रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता

नामे		जमा	
पहले और दूसरे चरण के मूल्यों के बीच अंतर	0.0200	रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाते से शेष	0.0953
लाभ- हानि लेखे में आगे लाया गया शेष	0.0753		
कुल	0.0953	कुल	0.0953

4. जब लेखा अवधि बीच के दिन समाप्त होती हो तब कूपन धारित प्रतिभूति के संबंध में रिपो / रिवर्स रिपो लेनदेन पर पारित की जानेवाली अतिरिक्त प्रविष्टियां ।

लेनदेन	पहला चरण	लेखा अवधि की समाप्ति	दूसरा चरण
चरण →			
तारीख →	19 जनवरी 03	<u>21 जनवरी 03*</u>	22 जनवरी 03

पहले चरण तथा दूसरे चरण के बीच प्रतिभूति की निर्बंध कीमतों में अंतर तुलनपत्र की तारीख तक प्रभावित किया जाए और विक्रेता/क्रेता के बही में क्रमशः रिपो ब्याज आय/व्यय के रूप में दर्शाया जाए और उपचित परंतु देय नहीं आय /व्यय की तरह नामे/जमा किया जाए। उपचित परंतु देय नहीं आय /व्यय के शेष तुलनपत्र में लिए जाए ।

क्रेता द्वारा उपचित लाभांश को भी रिपो ब्याज आय खाते में जमा किया जाए। 'रिपो /रिवर्स रिपो मूल्य समायोजन खाता और रिपो /रिवर्स रिपो ब्याज समायोजन खाता" पर कोई भी प्रविष्टि पास करने की आवश्यकता नहीं है। निदर्शी लेखा प्रविष्टियां नीचे दर्शायी गयी हैं :

क. 21 जनवरी 2003 को विक्रेता की बही में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज आय खाता (लाभ-हानि लेखे में अंतरित किये जाने वाले खाता-शेष)		0.0133 (दो दिन के अर्थात् तुलनपत्र के दिवस तक के मूल्य में अंतर के प्रभाजन के जरिए रिपो मूल्य समायोजन खाते में काल्पनिक जमा शेष (0.0133))
रिपो ब्याज आय उपचित परंतु देय नहीं	0.0133	
*21 जनवरी 2003 को तुलनपत्र की तारीख माना गया है।		

ख) 21 जनवरी 2003 को विक्रेता की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज आय	0.0133	
लाभ- हानि लेखे		0.0133

ग) 21 जनवरी 2003 को क्रेता की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज आय उपचित परंतु देय नहीं	0.0502	
रिपो ब्याज आय खाता (लाभ-हानि लेखे में अंतरित किये जानेवाले खाता- शेष)		0.0502 (0.0635 रुपये का 3 दिन का उपचित ब्याज * - 0.0133 रुपये निर्बंध कीमत के बीच अंतर का प्रभाजन)
*सरलता हेतु 2 दिन के उपचित ब्याज को विचार में लिया गया है।		

घ) 21 जनवरी 2003 को क्रेता की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज आय खाता	0.0502	
लाभ- हानि लेखे		0.0502

रिपो के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति पर उपचित ब्याज विक्रेता द्वारा छोड़ देने के कारण विक्रेता और क्रेता द्वारा उपचित रिपो ब्याज के बीच अंतर होता है।

ख. खजाना बिल का रिपो/ रिवर्स रिपो**1. खजाना बिल के रिपो का ब्योरा**

रिपो के तहत प्रस्तुत प्रतिभूति	28 फरवरी, 2003 को अवधिपूर्ण होने वाले भारत सरकार के 91 दिवसीय खजाना बिल	
रिपो के तहत प्रस्तुत प्रतिभूति का मूल्य	96.0000 रुपये	(1)
रिपो की तारीख	19 जनवरी, 2003	
रिपो ब्याज दर	7.75%	
रिपो की अवधि	3 दिन	
पहले चरण के लिए कुल नकदी प्रतिफल	96.0000	(2)

रिपो ब्याज	0.0612	(3)
दूसरे चरण हेतु मूल्य	(2)+(3) = 96.0000 + 0.0612 = 96.0612	
दूसरे चरण के लिए नकदी प्रतिफल	96.0612	

2. प्रतिभूति विक्रेता के लिए लेखांकन

हम ऐसा मानते हैं कि प्रतिभूति 95.0000 रुपये बही मूल्य पर विक्रेता द्वारा धारित की गयी थी।

पहले चरण का लेखांकन

	नामे	जमा
नकदी	96.0000	95.0000 (बही मूल्य)
रिपो खाता		
रिपो मूल्य समायोजन खाता		1.0000 (बही मूल्य और रिपो मूल्य के बीच अंतर)

दूसरे चरण का लेखांकन

रिपो खाता	95.0000	
रिपो मूल्य समायोजन खाता	1.0612 (बही मूल्य और दूसरे चरण के मूल्य के बीच अंतर)	
नकदी खाता		96.0612

रिपो लेनदेन के दूसरे चरण के अंत के रिपो मूल्य समायोजन खाते से संबंधित शेष रिपो ब्याज व्यय खाते में अंतरित किये जाते हैं। खाते शेष का विश्लेषण करने हेतु खाता बही की प्रविष्टियां नीचे दी गयी हैं :

रिपो मूल्य समायोजन खाता

नामे	जमा	नामे	जमा
दूसरे चरण के लिए मूल्य में अंतर	1.0612	पहले चरण के लिए मूल्य में अंतर	1.0000
		रिपो ब्याज व्यय लेखे में आगे लाया गया शेष	0.0612
कुल	1.0612	कुल	1.0612

रिपो ब्याज व्यय खाता

नामे	जमा	नामे	जमा
रिपो मूल्य समायोजन खाते से शेष	0.0612	लाभ-हानि लेखे में आगे लाया गया शेष	0.0612
कुल	0.0612	कुल	0.0612

रिपो की अवधि के दौरान विक्रेता मूल बट्टा दर पर बट्टा उपचित करना जारी रखेगा।

3. प्रतिभूति के क्रेता के लिए लेखांकन

जब प्रतिभूति की खरीद की जाएगी तब इसके साथ बही मूल्य आएगा। अतः प्रतिभूति का बाज़ार मूल्य बही मूल्य होता है

|

पहले चरण का लेखांकन

	नामे	जमा
रिवर्स रिपो खाता	96.0000	
नकदी खाता		96.0000

दूसरे चरण का लेखांकन

	नामे	जमा
नकदी खाता	96.0612	
रिपो ब्याज आय खाता (पहले तथा दूसरे चरण की कीमतों के बीच अंतर)		0.0612
रिवर्स रिपो खाता		96.0000

रिपो अवधि के दौरान क्रेता बढ़े का उपचय नहीं करेगा।

4. जब लेखा अवधि किसी बीच के दिन समाप्त होती हो तब खज़ाना बिल से संबंधित रिपो / रिवर्स रिपो लेनदेन पर पारित की जानेवाली अतिरिक्त लेखा प्रविष्टियां।

लेनदेन चरण →	पहला चरण	तुलनपत्र की तारीख	दूसरा चरण
तारीख →	19 जनवरी 03	21 जनवरी 03*	22 जनवरी 03
*21 जनवरी 2003 को तुलनपत्र की तारीख मान लिया है।			

क. 21 जनवरी 2003 को विक्रेता की बही में की गयी प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज आय खाता दो दिन के रिपो ब्याज के प्रभाजन के बाद) [इस खाते का शेष लाभ-हानि लेखे में अंतरित किया जाए]	0.0408	
रिपो ब्याज व्यय उपचित परंतु देय नहीं		0.0408

ख. 21 जनवरी 2003 को विक्रेता की बही में की गयी प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज व्यय खाता		0.0408
लाभ-हानि लेखे	0.0408	

ग. 21 जनवरी 2003 को क्रेता बही में की गयी प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज व्यय उपचित परंतु देय नहीं	0.0408	
रिपो ब्याज आय खाता [इस खाते का शेष लाभ-हानि लेखे में अंतरित किया जाए]		0.0408

घ. 21 जनवरी 2003 को क्रेता की बही में की गयी प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिपो ब्याज आय खाता	0.0408	
लाभ-हानि लेखे		0.0408

अनुबंध - V

दि.01.07.14 के परिपत्र बेंपवि.सं.एफआईडी.एफआईसी.3/01.02.00/2014-15 का

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) में बैंक के निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

1. विवेकपूर्ण निवेश सीमाएं

1.1 जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में किए गए सभी निवेशों को ईक्विटी के समकक्ष माना जाएगा तथा इस कारण से, उन्हें पूंजी बाजार निवेश (एक्सपोजर) की उच्चतम सीमाओं (ईक्विटी और ईक्विटी से संबद्ध लिखतों में प्रत्यक्ष निवेश की उच्चतम सीमा एवं समग्र पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा) के अनुपालन के लिए संगणित किया जाएगा।

1.2 कंपनियों के रूप में बनाई गई जोखिम पूंजी निधियों में किया गया निवेश, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुपालन के अधीन होगा, अर्थात्, बैंक निवेशिनी कंपनी की चुकता पूंजी के 30 प्रतिशत अथवा अपनी चुकता शेयर पूंजी और रिज़र्व के 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक धारित नहीं करेगा।

1.3 इसके अलावा, ईक्विटी/यूनिटों आदि के रूप में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश करने पर भी पैरा बैंकिंग गतिविधियों पर 1 जुलाई 2005 के हमारे मास्टर परिपत्र बेंपवि. एफएसडी. सं. 10/24.01.001/2005-06 के पैरा 3 के अनुसार निर्धारित उच्चतम सीमाएं लागू होंगी जिनके अनुसार किसी बैंक द्वारा किसी सहायक कंपनी, वित्तीय सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी, वित्तीय संस्था, स्टॉक तथा अन्य एक्सचेंजों में निवेश बैंक की चुकता पूंजी और रिज़र्व के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा ऐसी सभी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, स्टॉक और अन्य एक्सचेंजों में कुल मिलाकर निवेश बैंक की चुकता पूंजी और रिज़र्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) में बैंकों के निवेश का मूल्यांकन एवं वर्गीकरण

2.1 जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) की कोट किए गए ईक्विटी शेयरों/बांडों/यूनिटों में बैंक के संविभाग को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में धारित किया जाना चाहिए तथा दैनिक आधार पर, मार्कट टू मार्कट होने चाहिए, परंतु वर्तमान अनुदेशों के अनुसार अन्य ईक्विटी शेयरों के लिए मूल्यांकन के मानदंडों के अनुरूप वरीयतः कम-से-कम साप्ताहिक आधार पर धारित किया जाना चाहिए।

2.2 इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद जोखिम पूंजी निधियों के गैर सूचीबद्ध शेयरों/बांडों/यूनिटों में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए अवधिपूर्णता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकन किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले किए गए निवेशों के लिए, वर्तमान मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा।

2.3 इस प्रयोजन के लिए, तीन वर्ष की अवधि की गणना जब भी प्रतिबद्ध पूंजी की मांग की गई हो तब जोखिम पूंजी निधि में बैंक द्वारा किये गये प्रत्येक संवितरण के लिए अलग से की जाएगी। तथापि, एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण करने हेतु वर्तमान मानदंडों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए ऊपर उल्लेख किये अनुसार जिन प्रतिभूतियों ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हों उन सभी का अंतरण अगले लेखा वर्ष के प्रारंभ में एक ही लॉट में लागू किया जाएगा ताकि एचटीएम श्रेणी से निवेशों के वार्षिक अंतरण के साथ मेल हो सके।

2.4 तीन वर्षों के बाद, गैर-सूचीबद्ध यूनिटों/शेयरों/बांडों को एएफएस श्रेणी में अंतरित कर निम्नलिखित रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए :

i) यूनिट :

यूनिटों के रूप में निवेश करने के मामले में, उद्यम पूंजी निधि द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित यूनिटों पर यदि कोई मूल्यहास हो तो, एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में निवेशों का अंतरण करते समय उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा इसके बाद के मूल्यांकनों के समय भी यह प्रावधान किया जाए जो कि उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर तिमाही या उससे अधिक अंतरालों पर किया जाना चाहिए। कम-से-कम वर्ष में एक बार, लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर उक्त यूनिटों को मूल्यांकित किया जाना चाहिए। तथापि, यदि मूल्यांकन करने की तारीख को लेखा परीक्षित तुलन पत्र/वित्तीय विवरण, जिसमें एनएवी आंकड़े दर्शाए जाते हैं, लगातार 18 महीनों से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो निवेशों का मूल्यन प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) 1.00 रुपये की दर पर किया जाए।

ii) इक्विटी :

शेयरों के रूप में किये गये निवेशों के मामले में, विश्लेषित मूल्य ('पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां' यदि कोई हों पर ध्यान दिये बिना), जिसे कंपनी (वीसीएफ) के अद्यतन तुलन पत्र (जो मूल्यन की तारीख से 18 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) से सुनिश्चित करना है, के आधार पर अपेक्षित बारंबारता (फ्रिक्वेंसी) पर मूल्यन किया जा सकता है। यदि शेयरों पर कोई मूल्यहास है तो निवेशों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में अंतरित करते समय तथा अनुवर्ती मूल्यांकन जो कि तिमाही अथवा उससे भी थोड़े-थोड़े अंतरालों पर करना चाहिए, के समय उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। यदि उपलब्ध अद्यतन तुलन पत्र 18 महीनों से अधिक पुराना है तो शेयरों का प्रति कंपनी 1.00 रुपये की दर पर मूल्यांकन किया जाए।

iii) बॉण्ड

वीसीएफ के बॉण्डों में निवेश, यदि कोई हों तो उनका मूल्यन बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाए।

3. वीसीएफ में एक्सपोजर पर बाज़ार जोखिम के लिए जोखिम भार तथा पूंजी प्रभार

3.1 वीसीएफ के शेयर तथा यूनिट

वीसीएफ के शेयरों/यूनिटों में निवेशों पर पहले तीन वर्ष के दौरान जब उन्हें परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित किया जाता है, ऋण जोखिम को मापने के लिए 150 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा। जब उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित अथवा अंतरित किया जाता है तो बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना पर वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित बाजार जोखिम के विशिष्ट जोखिम घटक पर पूंजी प्रभार 13.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए ताकि 150 प्रतिशत का जोखिम भार प्रतिबिंबित हो। सामान्य बाजार जोखिम घटक पर अन्य ईक्विटीज के समान 9 प्रतिशत प्रभार लगाया जाए।

3.2 वीसीएफ के बॉण्ड

वीसीएफ के बॉण्डों में निवेशों पर, पहले तीन वर्ष के दौरान जब इन्हें परिपक्वता तक धारित श्रेणी में धारित किया जाता है, ऋण जोखिम को मापने के लिए 150 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा। जब यह बॉण्ड बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित अथवा अंतरित किये जाते हैं तो इन पर 13.5 प्रतिशत का विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार लगेगा। सामान्य बाजार जोखिम के लिए प्रभार की किसी भी अन्य प्रकार के बॉण्डों में निवेशों के मामले में विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की जाए।

3.3 निवेशों के अलावा वीसीएफ में एक्सपोजर

निवेशों के अलावा वीसीएफ में एक्सपोजर पर भी 150 प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जाए।

4. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से इतर प्रतिभूतियों से संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत छूट

सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर सूचीबद्ध एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में किसी बैंक का निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में उसके कुल निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को एसएलआर से इतर अनरेटेड प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए। वीसीएफ के गैर सूचीबद्ध तथा अनरेटेड बॉण्डों में किए गए निवेशों को इन दिशानिर्देशों से छूट दी जाएगी।

5. वीसीएफ में बैंकों द्वारा अनुकूल (स्ट्रेटिजिक) निवेशों के लिए भारिबैं का अनुमोदन

वीसीएफ में अनुकूल निवेश अर्थात् वीसीएफ की इक्विटी/यूनिट पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक के समकक्ष निवेश करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

तथापि, सिडबी के मामले में निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू होंगे:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिए बिना सिडबी की वीसीएफ में निवेश सीमा वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ा कर इस परंतुक के अधीन 20 प्रतिशत कर दी गई है की वे 175 प्रतिशत का पूंजी प्रभार बनाए रखेंगे। विशिष्ट जोखिमों के लिए, जहां सिडबी का सीएमई 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के बीच है, यह पूंजी प्रभार 200 प्रतिशत होगा, तथा 30 प्रतिशत से ऊपर और 40 प्रतिशत तक सीएमई के लिए विशिष्ट जोखिमों पर पूंजी प्रभार 225 प्रतिशत होगा।

(ii) किसी भी जोखिम निधि में सिडबी के निवेश को समर्पित एमएसएमई माना जाएगा, जब तक कि सिडबी के अंशदान का कम से कम दोगुना अथवा अपनी निधियों का 50 प्रतिशत, में से एमएसएमई के लिए जो भी अधिक हो, निधि निवेश करता है।

अनुबंध VI

दि.01.07.14 के परिपत्र बेंपविवि.सं.एफआईडी.एफआईसी.3/01.02.00/2014-15 का

कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों (रिज़र्व बैंक) में रेपो संबंधी निदेश, 2010

1. संक्षिप्त नाम और निदेशों की शुरुआत

इन निदेशों को कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों (रिज़र्व बैंक) में रेपो संबंधी निदेश, 2010 कहा जाता है, और ये 01 मार्च 2010 से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- क. 'कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति' का मतलब है अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां, जो ऋणग्रस्तता का निर्माण या अभिस्वीकृति करती हैं, जिसमें केंद्र या राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या अधीन गठित किसी कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय के डिबेंचर, बांड और ऐसी अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं, चाहे वे कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट की आस्तियों पर प्रभार गठित करती हैं या नहीं, किंतु इसमें सरकार, अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जारी प्रतिभूतियां, प्रतिभूति रसीदें तथा प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत शामिल नहीं हैं।
- ख. 'प्रतिभूति रसीद' का मतलब है वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 के खण्ड (यछ) में परिभाषित प्रतिभूति।
- ग. 'प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत का मतलब प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खण्ड (ज) के उप-खण्ड (जड) में बताए गए स्वरूप की प्रतिभूतियां हैं।

3. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो के लिए पात्र प्रतिभूतियां

क. केवल सूचीबद्ध कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां, जिन्हें रेटिंग एजेंसियों ने 'एए' या उससे ऊपर रेटिंग दिया है, जिन्हें रेपो विक्रेता के प्रतिभूति खाते में अमूर्त रूप में रखा गया है, रेपो करने के लिए पात्र होंगी। इसके समान न्यूनतम एए और उससे अधिक रेटिंग वाले एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता वाले वाणिज्य पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के रेपो की भी अनुमति दी जाएगी।

4. पात्र सहभागी

कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं पात्र होंगी:

- क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़ कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक;
- ख. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई प्राथमिक व्यापारी;
- ग. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (सरकारी कंपनियों के अलावा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है);
- घ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, अर्थात् एक्विजिमेंट बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी;
- ड. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
- च. संबंधित विनियामकों के अनुमोदन के अधीन अन्य विनियमित संस्थाएं, जैसे,
- i. भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के पास पंजीकृत कोई मुच्युअल फंड;
- ii. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत कोई आवास वित्त कंपनी; तथा
- iii. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत कोई बीमा कंपनी
- छ. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
- ज. रिज़र्व बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत कोई अन्य संस्था

कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो की न्यूनतम अवधि एक दिन तथा अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी।

6. सौदा

सहभागी कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन ओटिसी बाजार में करेंगे।

7. सौदों की रिपोर्टिंग

- क. सौदा करने के 15 मिनट के भीतर सभी सौदों को एफआईएमएमडीए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना होगा।
ख. सौदों को समाशोधन और निपटान के लिए एकसंचेज के समाशोधन गृहों में से किसी एक में भी रिपोर्ट करना होगा।

8. सौदों का निपटान

- क. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो सौदों का निपटान डीवीपी I (सकल आधार) संरचना के अंतर्गत वर्तमान टी+0, टी+1 तथा टी+2 आधार पर करने की अनुमति है।
ख. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो सौदों का निपटान उसीप्रकार किया जाएगा, जैसा कि कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में एकमुश्त ओटीसी सौदों में किया जाता है।
ग. रेपो सौदों के प्रतिवर्ती सौदों की तारीख को समाशोधन गृह पक्षों के दायित्वों की गणना करेंगे तथा डीवीपी आधार पर निपटान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

9. रेपोकृत प्रतिभूति के विक्रय पर प्रतिबंध

रेपो के अंतर्गत अधिगृहीत प्रतिभूति का रेपो क्रेता (निधि उधारकर्ता) द्वारा रेपो अवधि के दौरान विक्रय नहीं किया जाएगा।

10. हेयरकट

कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो सौदों का निपटान डीवीपी I (सकल आधार) संरचना के अंतर्गत वर्तमान टी+1 तथा टी+2 आधार के अतिरिक्त टी+0 आधार पर करने की अनुमति है। कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के सौदे के पहले चरण की तारीख को लागू बाजार मूल्य में लागू न्यूनतम हेयरकट, जिसे पहले 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

रेटिंग	एए	एए+	एए
न्यूनतम मार्जिन (हेयरकट)*	7.5%	8.5%	10.00 %
* उक्त हेयरकट न्यूनतम निर्धारित हेयरकट हैं, जहां रेपो की अवधि एक दिन है, अथवा जहां शेष आवृत्ति (दीर्घावधि रेपो के मामले में) रोजाना है। अन्य सभी मामलों में सहभागी उच्चतर हेयरकट अपना सकते हैं।			

11. मूल्यन

कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति का बाजार मूल्य जानने के लिए कॉर्पोरेट बांड में रेपो के सहभागियों को एफआईएमएमडीए में प्रकाशित क्रेडिट स्प्रेड का संदर्भ लेना चाहिए।

12. पूंजी पर्याप्तता

दिनांक 01 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र [बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.21/21.06.001/2009-10](#) के पैरा 7.3.8 के

अनुसार कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेन-देन पर पूंजी प्रभार लगाया जाएगा।

13. प्रकटन

रेपो अथवा रिवर्स रेपो के अंतर्गत उधार दी गई या उपार्जित कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों का ब्योरे का प्रकटन तुलन-पत्र में “लेखे पर टिप्पणियां” में किया जाएगा।

14. लेखांकन

कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेन-देन का लेखांकन सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो/रिवर्स रेपो लेन-देन के एक समान लेखांकन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

15. सीआरआर/एसएलआर की गणना और उधार लेने की सीमा

क. किसी बैंक द्वारा रेपो के माध्यम से ली गई उधार राशि को इसकी मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) का ही भाग माना जाएगा और इन पर [1 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र डीबीओडी. सं. आरईटी. बीसी.19/12.01.0001/2013-14](#) के प्रावधानों के अनुसार सीआरआर/एसएलआर लागू होगा।

ख. किसी बैंक द्वारा रेपो के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉन्ड के रूप में ली गई उधार को रिजर्व अपेक्षाओं के लिए इसकी देयताओं के रूप में गिना जाएगा और बैंकिंग प्रणाली के प्रति उत्पन्न ऐसी देयताओं की सीमा तक, इनको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के स्पष्टीकरण खंड (घ) के अनुसार सकलयोजित किया जाएगा। तथापि, ऐसी उधार दिनांक [6 मार्च 2007 के परिपत्र डीबीओडी. बीपी. बीसी. 66/21.01.002/2006-07](#) में वर्णित अंतर बैंक देयताओं की विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होंगी।

16. प्रलेखीकरण

एफआईएमएमडीए द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रलेखीकरण के अनुसार सहभागी द्विपक्षी मास्टर रेपो करार करेंगे।

अनुबंध- VII

दिनांक 01-07-14 के परिपत्र बँपविवि. सं.एफआइडी.एफआइसी. 3/01.02.00/2013-14 का

निवेश	पूँजी बाजार एक्सपोज़र		
सीएमई मानदंड लागू करना	सीएमई मानदंडों से छूट प्राप्त	सीएमई मानदंडों से छूट प्राप्त नहीं	
निवेश की श्रेणियां	एचटीएम श्रेणी	गैर एचटीएम श्रेणी	गैर एचटीएम श्रेणी
अनुषंगी जोखिम	विशिष्ट जोखिम	विशिष्ट जोखिम + सामान्य बाजार जोखिम	विशिष्ट जोखिम + सामान्य बाजार जोखिम
जोखिम भार	125%	125% + 100%	125% + 100%

अनुबंध - VIII

दिनांक 01-07-14 के परिपत्र बेंपवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/01.02.00/2013-14 का

भाग क : मास्टर परिपत्रों में समेकित किये गये परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	एफआइसी सं. 984-994/01.02.00/91-92	23 जून 1992	निवेश संविभाग प्रतिभूतियों में लेनदेन
2	एफआइसी सं. 493-503/01.02.00/92-93	4 जनवरी 1993	निवेश संविभाग प्रतिभूतियों में लेनदेन
3.	एफआइसी सं. 937-947/ 01.02.00/93-94	22 अप्रैल 1994	सहायक कंपनियों/म्युच्युअल फंडों की गतिविधियों पर निगरानी
4.	एफआइसी सं. 551/ 01.08.00/95-96	24 जनवरी 1996	निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन – दलालों की भूमिका
5.	एफआइसी सं. 198/ 01.08.00/96-97	2 सितंबर 1996	निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन
6.	एफआइसी सं.7/ 01.08.00/96-97	19 फरवरी 1997	निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन
7.	बेंपर्यवि. एफआइडी. सं. 23/ 01.08.00/97-98	20 जनवरी 1998	निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन – दलालों की भूमिका
8.	बेंपर्यवि. एफआइडी. सं. 40/ 01.08.00/98-99	28 अप्रैल 1999	टियर II पूंजी के निर्माण के लिए गौण ऋण जारी करना
9.	बेंपर्यवि.एफआइडी. सं. सी- 9/01.02.00/ 2000-01	9 नवंबर 2000	निवेशों के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश
10.	बेंपर्यवि.एफआइडी. सं. सी-10/ 01.02.00/ 2000-01	22 नवंबर 2000	निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन – दलालों की भूमिका
11.	बेंपर्यवि.एफआइडी. सं. सी-4/ 01.02.00/ 2001-02	28 अगस्त 2001	अमूर्त रूप में लिखतों को धारण करना
12.	बेंपर्यवि.एफआइडी. सं. सी-6/ 01.02.00/ 2001-02	16 अक्टूबर 2001	निवेशों के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश – स्पष्टीकरण/ आशोधन
13.	बेंपर्यवि.एफआइडी. सं. सी-10/ 01.02.00/ 2001-02	1 फरवरी 2002	पुनर्रचित खातों पर कार्रवाई – स्पष्टीकरण
14.	बेंपर्यवि.एफआइडी.सं.सी- 2/01.02.00/2002-03	18 जुलाई 2002	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
15.	बेंपर्यवि.एफआइडी.सं.सी-3/ 01.02.00/ 2002-03	22 जुलाई 2002	निवेशों के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश – स्पष्टीकरण
16.	आरूप्रवि/पीडीआरएस/3432/10.02.0 1/2002-03	21 फरवरी 2003	तैयार वायदा संविदाएं
17.	आरूप्रवि/3810/ 11.08.10/2002-03	24 मार्च 2003	रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए एकसमान लेखापद्धति के लिए दिशा-निर्देश
18.	आरूप्रवि/एमएसआरडी/4801/06.01.0	3 जून 2003	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर दिशा-निर्देश

	3/2002-03		
19.	बैंपर्यवि.एफआइडी.सं.सी- 16/01.02.00/2002-03	20 जून 2003	निवेश संविभाग-प्रतिभूतियों में लेनदेन - लेखा परीक्षा समीक्षा तथा रिपोर्टिंग - प्रणाली आशोधन
20	बैंपर्यवि.एफआइडी.सं.सी- 1/01.02.00/2003-04	1 जुलाई 2003	स्टॉक एक्सचेंज पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री
21.	बैंपर्यवि.एफआइडी.सं.सी- 11/01.02.00/2003-04	8 जनवरी 2004	ऋण प्रतिभूतियों में वित्तीय संस्थाओं के निवेश पर अंतिम दिशा-निर्देश
22.	बैंपर्यवि. एफआइडी. सं. सी- 6/01.02.00/2004-05	30 अगस्त 2004	निवेशों को अमूर्त रूप में धारण करना
23.	बैंपविवि.एफआईसी एफआईडी. सं. 3/01.02.00/2007-08	2 जुलाई 2007	डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में निवेशों की धारिता
24.	बैंपविवि. एफआईसी. एफआईडी. सं. 5/ 01.02.00/2007-08	4 जून 2008	भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
25	बैंपविवि. एफआईडी. एफआईसी सं. 5/01.02.00/2010-11	18 अगस्त 2010	परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग के अंतर्गत रखे गए निवेश की बिक्री
26	बैंपविवि. एफआईडी. एफआईसी सं..7/01.02.00/2010-11	28 अक्टूबर 2010	जीरो कूपन बॉन्डों में निवेश संबंधी मानदंड
27	बैंपविवि. एफआईडी. एफआईसी सं..11/11.02.00/2010-11	01 फरवरी 2011	बैंकों की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में स्थायी हास का मूल्य निर्धारण
28	बैंपविवि. एफआईडी. एफआईसी सं.9/1.02.00/2010-11	1 दिसंबर 2010	विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - जोखिम पूंजी निधियों में निवेश
29	आंक्रप्रवि.पीसीडी.09/14.03.02/2012- 13	7 जनवरी 2013	कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेडी फॉरवर्ड करारों पर संशोधित दिशा-निर्देश
30	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	27 जून 2013	निम्न कूपन बांड में निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड
31	आंक्रप्रवि.पीसीडी.10/14.03.36/ 2013 -14	24 फरवरी 2014	कारपोरेट बॉण्ड और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओटीसी लेनदेनों के लिए फिम्डा का ट्रेड रिपोर्टिंग और कन्फर्मेशन प्लेटफार्म

**भाग ख : निवेशों से संबंधित अनुदेश वाले अन्य परिपत्रों की सूची जिन्हें अब
अधिक्रमित किया गया है**

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	एफआइसीसं.338/ 01.08.00/95-96	3 नवंबर 1995	निवेश संविभाग - निवेशों की 'स्थायी तथा वर्तमान' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण
2.	बैंपर्यवि.एफआइडी.सं.22/ 01.02.00/97-98	15 जनवरी 1998	निक्षेपागार में संस्थागत लेनदेनों का निपटान
3.	बैंपर्यवि.एफआइडी. सं. 3/ 01.02.00/99-00	10 अगस्त 1999	तैयार वायदा लेनदेन करने के लिए अनुमति
4.	बैंपर्यवि.एफआइडी.सं. सी-15/ 01.02.00/1999-00	8 अप्रैल 2000	तैयार वायदा लेनदेन
5.	आरूप्रवि. 15/ 08.15.01/2000-01	30 अप्रैल 2001	वाणिज्य पेपर में निवेश
6.	बैंपर्यवि.एफआइडी.सं. सी-16/ 01.02.00/2001-02	14 मई 2002	तैयार वायदा संविदाएं - सीसीआई लि. के माध्यम से